

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

सिविल रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 1942/2024

प्रमोद कुमार यादव पिता स्वर्गीय विक्रम राय, निवासी ग्राम लखौरा, थाना-लखौरा, जिला-पूर्वी चंपारण (मोतिहारी) वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, लखौरा, प्रखण्ड-मोतिहारी, जिला-पूर्वी चंपारण (मोतिहारी) में प्रखण्ड शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं

..... याचिकाकर्ता

बनाम

- बिहार राज्य, अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।
- अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना।
- निदेशक प्राथमिक शिक्षा, बिहार सरकार, पटना।

..... प्रतिवादीगण

साथ में

सिविल रिट क्षेत्राधिकार केस संख्या 2036/2024

केशव कुमार पिता शिव मंगल चौधरी निवासी ग्राम- हनुमान नगर, बरहरवा लखनसेन, थाना-ढाका, जिला- पूर्वी चंपारण, वर्तमान में राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बरहरवा सीवान, प्रखण्ड- ढाका, जिला- पूर्वी चंपारण में प्रखण्ड शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं

..... याचिकाकर्ता

बनाम

- बिहार राज्य, अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।
- अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना।
- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना।
- निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना।
- क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र, जिला-मुजफ्फरपुर।
- जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्वी चंपारण, जिला-पूर्वी चंपारण।

7. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना (शिक्षा) पूर्वी चंपारण, जिला-पूर्वी चंपारण, मोतिहारी।
8. प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी-सह-सदस्य सचिव, प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई, ढाका, प्रखंड-ढाका, जिला-पूर्वी चंपारण, मोतिहारी।
9. प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, ढाका, प्रखंड-ढाका, जिला-पूर्वी चंपारण, मोतिहारी।

..... प्रतिवादीगण

साथ में

सिविल रिट क्षेत्राधिकार केस संख्या 2192/2024

प्रगतिशील प्रारंभिक शिक्षा संघ अपने अध्यक्ष मंगल कुमार साह, उम्र लगभग 39 वर्ष, पिता राधाकिशन साह, निवासी ग्राम-राजपुर, पोस्ट ऑफिस रघुनाथपुर, पी.एस. रघुनाथपुर, जिला सीवान के माध्यम से

..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।
2. अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा), शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. निदेशक (प्राथमिक शिक्षा) शिक्षा विभाग, सरकार। बिहार, पटना।
5. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना अपने सचिव के माध्यम से।
6. परीक्षा नियंत्रक, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

..... प्रतिवादीगण

साथ में

सिविल रिट क्षेत्राधिकार केस संख्या 2205/2024

बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ अपने अध्यक्ष प्रदीप कुमार के माध्यम से पप्पू उर्फ प्रदीप कुमार, (पुरुष) उम्र लगभग 47 वर्ष, पिता सत्य नारायण यादव, निवासी ग्राम जिरवा, पी.ओ. जिरवा, पी.एस. शंकरपुर, जिला मधेपुरा

..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।

2. अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा), शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. निदेशक (प्राथमिक शिक्षा), शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना।
5. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना अपने सचिव के माध्यम से।
6. वह परीक्षा नियंत्रक, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

..... प्रतिवादीगण

साथ में

सिविल रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 2288/2024

1. राजू कुमार पिता उमेश सिंह, निवासी ग्राम-बीरपुर, वार्ड संख्या-10, थाना-बीरपुर, जिला-बेगूसराय, वर्तमान में नव निर्मित राजकीय प्राथमिक विद्यालय, लखनपुर, प्रखण्ड-बीरपुर, जिला-बेगूसराय में पंचायत शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं।
2. नीरज कुमार राय उर्फ नीरज कुमार राय, पिता दया शंकर राय, निवासी वार्ड नं.-26, श्री राम नगर, थाना-गोपालगंज, जिला-गोपालगंज, वर्तमान में राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय में स्नातक शिक्षक के पद पर कार्यरत, फुलगुनी, प्रखण्ड-गोपालगंज, जिला-गोपालगंज।
3. देवंती कुमारी, पति श्री पूरन कुमार, निवासी मोहल्ला-मछुआ टोली, आर्या कुमार रोड, पी.एस.-कदमकुआं, जिला-पटना, वर्तमान में कार्यरत हैं स्नातक शिक्षक, राजकीय मध्य विद्यालय, कोहरा, प्रखण्ड-मखदुमपुर, जिला-जहानाबाद।
4. विनीत कुमार पांडेय, पिता शिव भजन पांडेय, निवासी कमला निवास, सलीमपुर अहरा, लेन नं.-2, थाना-गांधी मैदान, जिला-पटना, वर्तमान में राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय, कल्पा खुर्द, प्रखण्ड एवं जिला-जहानाबाद में स्नातक शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं।

.....याचिकाकर्तागण

बनाम

1. बिहार राज्य, अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।
2. अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना।

4. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना।
5. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना अपने सचिव के माध्यम से।
6. अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।
7. सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।
8. परीक्षा नियंत्रक (विभिन्न), बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

... ... प्रतिवादीगण

साथ में

सिविल रिट क्लेट्राधिकार वाद संख्या 2382/2024

1. बिहार पंचायत नगर प्रारम्भिक शिक्षक संघ अपने अध्यक्ष आनंद कौशल सिंह, (पुरुष) उम्र लगभग 44 वर्ष, पिता अभय कुमार सिंह, निवासी ग्राम व पी.एस. - गिर्दोर, जिला - जमुई, पिन कोड- 811305 के माध्यम से।
2. रामचंद्र राय, पिता स्वर्गीय राम नारायण राय, निवासी ग्राम + पी.ओ.-रूपौली, पी.एस. - मुशहरी घरारी, जिला - समस्तीपुर। वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय सारंग तारा (उर्दू मोरबा), पी.एस. हलई(ताजपुर), जिला-समस्तीपुर में पंचायत शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं।
3. पंकज कुमार सिंह, पिता स्वर्गीय बीरेंद्र कुमार सिंह, निवासी वार्ड संख्या-10, राजेश्वरी, थाना. - छातापुर, जिला- सुपौल. वर्तमान में मध्य विद्यालय कटाही, छातापुर, जिला-सुपौल वर्तमान में प्रखण्ड शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं
4. प्रकाश कुमार, पिता अरुण कुमार अरुण, निवासी ग्राम + पो. -बनगांव, पी.एस. - बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी, वर्तमान में मध्य विद्यालय कोदरिया, थाना. - रुन्नीसैदपुर, जिला-सीतामढ़ी में प्रखण्ड शिक्षक के पद पर कार्यरत
5. ललन प्रसाद के पिता मनोज कुमार, निवासी ग्राम व पो. - सिंदुआरी, पी.एस. - हाजीपुर सदर, जिला-वैशाली. वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय सिंदुआरी, थाना--हाजीपुर सदर, जिला-वैशाली में प्रखण्ड शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं
6. मो. मिन्हाज, पिता चुलाही बक्स, निवासी ग्राम-रतनिया, थाना. - आजमनगर, जिला-कटिहार। वर्तमान में उत्क्रमित मध्य विद्यालय रतनिया, थाना- आजमनगर, जिला-कटिहार में प्रखण्ड शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं

7. रवीन्द्र कुमार सिंह, पिता शिवपूजन सिंह, निवासी मुहल्ला-नेता जी टोला गुरुकुल, महियार, पी.एस. -छपरा नगर,जिला-सारणछपरा. वर्तमान में छपरा में प्राथमिक विद्यालय नई बाजार हिंदी, ब्लॉक-छपरा टाउन, जिला-सारण में नगर शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं।
8. रीना कुमारी, पति मिथिलेश कुमार, पिता राजेंद्र पासवान ,निवासी ग्राम एवं थाना-कोरारी, थाना. - नगरनौसा, जिला - अलंदा.वर्तमान में उत्क्रमित मध्य विद्यालय नगवां, ब्लॉक एवं पी.एस. - नगरनौसा, जिला-नालंदा में प्रखण्ड शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं
9. अशोक कुमार सिंह, पिता स्वर्गीय सर्वानंद सिंह, निवासी-मोहल्ला-न्यू एतवारपुर, पो.ओ. - कुर्थौल, पी.एस. परसा बाजार, जिला-पटना. वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय पिपरा, प्रखण्ड-पुनपुन, जिला-पटना में पंचायत शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं।
10. पुरुषोत्तम कुमार, पिता तारणी प्रसाद सिंह, निवासी ग्राम-गनैली, थाना. - हरपुर, जिला-मुंगेर. वर्तमान में मध्य विद्यालय गनैली, थाना - हरपुर, जिला-मुंगेर में प्रखण्ड शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं
11. सुबोध कुमार पासवान, पिता स्वर्गीय भजनटेव पासवान, निवासी ग्राम- फुलकिया टोला, वार्ड नंबर 6, पो. और पी.एस. - चौसा, जिला -मधेपुरा. वर्तमान में नवनिर्मित प्राथमिक विद्यालय मधुरापुर, मुशहरी, थाना- चौसा, जिला-मधेपुरा में पंचायत शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं।
12. अनिल कुमार, पिता राम नगीना चौधरी, निवासी गेट नं.-67 के सामने, कुर्जी मोड़, पी.ओ.- सदाकत आश्रम, पी.एस.- दीघा, जिला- पटना। वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय अब्बू मोहम्मदपुर, पी.एस.- बख्तियारपुर, जिला- पटना में पंचायत शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं।
13. बरुन कुमार, पिता राजेंद्र राय, निवासी ग्राम- जदीशपुर बाबाधाम, पी.ओ. एवं पी.एस.- सूरजगढ़ा, जिला- लखीसराय। वर्तमान में नवनिर्मित प्राथमिक विद्यालय सहनी टोला, खारपर, पी.एस.- मानिकपुर, जिला- लखीसराय में पंचायत शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं।

..... याचिकाकर्तागण

बनाम

1. बिहार राज्य, अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार पटना के माध्यम से।

2. अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार पटना।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा शिक्षा विभाग, बिहार सरकार पटना।
4. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना।
5. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना अपने सचिव के माध्यम से।
6. अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।
7. सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।
8. परीक्षा नियंत्रक (विविध), बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड, पटना।

..... प्रतिवादीगण

साथ में

सिविल रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 2783/2024

1. सुबोध कुमार सुमन पिता शकीन्द्र प्रसाद, निवासी ग्राम-संतनगर (माई), पी.एस. - परवलपुर, जिला-नालंदा।
2. कुमार अमिताभ पिता श्री राम कृष्ण प्रसाद, निवासी ग्राम-मोगल कुआं, पी.एस. - सोहसराय, जिला-नालंदा।

... ... याचिकाकर्तागण

बनाम

1. बिहार राज्य मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।
2. अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. उप सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना।
5. अवर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना।

..... प्रतिवादीगण

साथ में

सिविल रिट क्षेत्राधिकार केस संख्या 2823/2024

1. नन्हे कुमार सिंह पिता त्रिवेणी सिंह, निवासी भोरे, थाना-भोरे, जिला-गोपालगंज।

2. हरि नारायण सिंह, पिता विश्वामित्र सिंह, निवासी नौतन, थाना-विजयीपुर, जिला-गोपालगंज।

.....याचिकाकर्तागण

बनाम

1. बिहार राज्य, अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।
2. अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार, पटना।
4. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार, पटना।

... ... प्रतिवादीगण

साथ में

सिविल रिट क्षेत्राधिकार केस संख्या 2922/2024

1. समरेंद्र बहादुर सिंह पिता श्री बलिंद्र सिंह निवासी गांव -सेंदुवार, रामपुर, पी.एस. एकमा, जिला सारण।
2. राहुल रंजन, पिता श्री राम बिनोद शर्मा, निवासी नेहरू नगर, पी.एस.- पाटलिपिता , शहर और जिला- पटना।
3. जय प्रकाश सिंह, पिता श्री प्रभु नाथ सिंह, निवासी गांव- इटवा बर्तवालिया, पी.ओ.- इटवा, जिला- सीवान।

..... याचिकाकर्तागण

बनाम

1. बिहार राज्य अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, सरकार के माध्यम से। बिहार सरकार, नया सचिवालय, पटना।
2. अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, शासन। बिहार का, नया सचिवालय, पटना.
3. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, सरकार। बिहार सरकार, नया सचिवालय, पटना।

..... प्रतिवादीगण

साथ में

सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 3056/2024

1. बिहार राज्य पंचायत/प्रखंड/नगर शिक्षक संघ, केदार भवन, अदालतगंज, पटना-800001, इसके महासचिव गजनफर नवाब के माध्यम से(पुरुष), उम्र लगभग 73 वर्ष, पिता स्वर्गीय मुजफ्फर नवाब, निवासी ग्राम-पिपला, पी.एस. मसौढ़ी, जिला-पटना, सम्प्रति जनशक्ति प्रेस, अदालतगंज, पी.एस. कोतवाली, जिला-पटना।
2. राम कुमार विद्यार्थी, पिता स्वर्गीय राम रूप प्रसाद, निवासी ग्राम-धरहरा, पी.एस. पुनपुन, जिला-पटना।
3. मनोरंजन कुमार यादव पिता स्वर्गीय श्याम नाथ यादव, निवासी ग्राम-भेलुरा, रघुनाथपुर, पी.एस. नौबतपुर, जिला-पटना।

..... याचिकाकर्तागण

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।
2. अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. प्राथमिक शिक्षा निदेशक, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. माध्यमिक शिक्षा निदेशक, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना।
5. सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, पटना।

..... प्रतिवादीगण

साथ में

सिविल रिट क्लेट्राधिकार मामला संख्या 3107/2024

1. जय प्रकाश राय पिता श्री राम अयोध्या राय निवासी ग्राम-रामपुर पांडे टोला, पी.ओ. एवं पी.एस.- भगवानपुर हाट, जिला- सीवान।
2. प्रियंका कुमारी, पति श्री अमित कुमार सिंह, ग्राम निवासी एवं पी.ओ.-रतन पड़ौली, पी.एस.-भगवानपुर हाट, जिला-सीवान।
3. कुमारी रेनू यादव, पति श्री जय प्रकाश राय, निवासी ग्राम-महम्मदपुर, पी.ओ.-अरुआं, पी.एस.-भगवानपुर हाट, जिला-सीवान।
4. पवन कुमार सिंह, पिता श्री प्रभु नाथ सिंह, निवासी ग्राम-लडवा खुर्द, पी.ओ.-मिर्जापुर, पी.एस.-जनता बाजार, जिला-सारण, छपरा।

5. भरोसा कुमारी, पति श्री बीरेंद्र कुमार प्रसाद, ग्राम निवासी-कराही खुर्द, पो. एवं पी.एस.-बसंतपुर, जिला-सीवान
6. मनीष कुमार पाल उर्फ मनीष कुमार पॉल, पिता - मोहर लाल प्रसाद, ग्राम एवं थाना-बड़कागांव, थाना- भगवानपुर हाट, जिला-सीवान.
7. रमिता कुमारी, पति श्री मनोज कुमार, निवासी बसंतपुर, पो. औरथाना- बसंतपुर, जिला- सीवान.
8. जीतेन्द्र कुमार, पिता श्री गुरुचरण प्रसाद, निवासी ग्राम-महम्मदपुर पट्टी, पी.ओ.-काला डुमरा, पी.एस.-जी.बी. नगर, तरवारा, जिला-सीवान।
9. प्रवीण कुमार, पिता श्री विद्या भूषण पांडेय, निवासी मुंदीपुर, पी.ओ.- हुलेशरा, पी.एस.- भगवानपुर हाट, जिला-सीवान।

..... याचिकाकर्तागण

बनाम

1. बिहार राज्य के अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, नया सचिवालय, पटना के माध्यम से।
2. अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, नया सचिवालय, पटना।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार सरकार, बुद्ध मार्ग, पटना।
4. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार सरकार, नया सचिवालय, पटना।

..... प्रतिवादीगण

साथ में

सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 3122/2024

1. शशिरंजन सुमन, पिता स्वर्गीय रामचन्द्र सिंह, ग्राम निवासी-बनगांव बाजार, थाना-बाजपट्टी, जिला-सीतामढी वर्तमान में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं राजकीय मध्य विद्यालय भगवानपुर चौबे में।
2. राज कुमार सिंह, पिता स्वर्गीय हरिहर सिंह, निवासी ग्राम-बीरमपुर, थाना- कोईलवर, जिला- भोजपुर में वर्तमान में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं राजकीय मध्य विद्यालय, बीरमपुर।

3. रविशंकर राय, पिता दधिबल राय, निवासी ग्राम-चीनी मिल बाजार, गजाधर रोड, थाना एवं जिला-बक्सर में वर्तमान में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय, गोपालपुर।
4. कुणाल कुमार, पिता स्वर्गीय छत्रपति शिवराज सिंह, निवासी ग्राम-इशाकचक भूराम फुलवारी, थाना एवं जिला-भागलपुर वर्तमान में पदस्थापित हैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय, महुआ में शिक्षक के रूप में।
5. जीतेन्द्र कुमार सुधांशु, पिता नागेश्वर राय, ग्राम निवासी-धनकौल, थाना- बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी में वर्तमान में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं राजकीय मध्य विद्यालय, धनकौल बुजुर्ग।
6. एजाज अहमद, पिता हसन अहमद, निवासी ग्राम-मदारीपुर, थाना बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं स्कूल, मदारीपुर उर्दू।
7. शैलेन्द्र कुमार सिंह, पिता रामदेव सिंह, निवासी ग्राम- कारीसाथ, थाना- उदवंतनगर, जिला- भोजपुर में वर्तमान में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय, कारीसाथ।
8. अजय कुमार सिंह, पिता राम हुलास सिंह, निवासी ग्राम - डगराहा, जिला- पूर्वी चंपारण वर्तमान में उत्क्रमित मध्य विद्यालय, डगराहा में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
9. उपेंद्र पांडेय, पिता सुकदेव पांडेय, निवासी ग्राम - कोरिगामा, पी.एस. - चकिया, जिला- पूर्वी चंपारण वर्तमान में शिक्षक के पद पर तैनात हैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय, सहथा मठिया।
10. मो. तनवीर अहमद, पिता मो. सलाहुद्दीन, निवासी ग्राम- हरपुरवा, थाना- बाजपट्टी, जिला- सीतामढ़ी वर्तमान में शिक्षक के पद पर तैनात हैं राजकीय मध्य विद्यालय, हरपुरवा उर्दू।
11. जय प्रकाश कुमार, पिता कैलाशपति प्रसाद, निवासी ग्राम - बनगांव बाजार, थाना-बाजपट्टी, जिला- सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, बनगांव बाजार में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।

12. दीपक कुमार, पिता लक्ष्मीकांत उपाध्याय, निवासी ग्राम-नोनार, थाना- पीरो, जिला- भोजपुर वर्तमान में उत्क्रमित मध्य विद्यालय, अरईडीह में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
13. महिपाल सिंह, पिता कुलदीप सिंह, निवासी ग्राम- तेतरडीह कटार, पी.एस- पीरो, जिला- भोजपुर वर्तमान में उत्क्रमित मध्य विद्यालय, तेतरडीह में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
14. राजेश कुमार सिंह, प्रदीप कुमार सिंह, निवासी ग्राम-गिधा, पी.एस-कोइलवार, जिला- भोजपुर वर्तमान में मध्य विद्यालय, तनपुर में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
15. राजू कुमार सिंह, पिता दिलीप कुमार सिंह, निवासी ग्राम- पितरो, थाना-पीरो, जिला- भोजपुर, वर्तमान में मध्य विद्यालय, मनैनी में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
16. बबीता कुमारी, पिता जनार्दन प्रसाद शर्मा, गांव निवासी -कल्याणपुर, थाना- उदवंतनगर, जिला-भोजपुर वर्तमान में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय, चौरई में।
17. रविन्द्र कुमार, पिता श्रीधन प्रसाद, निवासी ग्राम- नवानगर, थाना व जिला- बक्सर वर्तमान में मध्य विद्यालय रूपसागर, नवानगर में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
18. अजीत कुमार सिंह, पिता जंग बहादुर सिंह, निवासी ग्राम- बगेन, थाना- ब्रह्मपुर, जिला- बक्सर वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय कटंडेरा बेगन में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
19. अंशुमान कुमार, पिता रामाशीष सिंह, निवासी ग्राम- मदिला, थाना- डुमरांव, जिला- बक्सर वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय सिंघियानी डेरा में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
20. रोहित कुमार, पिता ददन सिंह, निवासी ग्राम व थाना- नवानगर, जिला- बक्सर वर्तमान में कन्या मध्य विद्यालय, नवानगर में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
21. सुनील कुमार सिंह, पिता काशीनाथ सिंह, निवासी ग्राम-सोनबर्षा, थाना- नवानगर, जिला-बक्सर वर्तमान मिडिल स्कूल, सालसाला में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
22. अनंत तिवारी, पिता कुंजबिहारी तिवारी, निवासी ग्राम-इटौना, थाना नवानगर, जिला- बक्सर वर्तमान में मध्य विद्यालय मारिया में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।

23. नवल किशोर प्रसाद सिंह, पिता नागेश्वर सिंह, निवासी ग्राम- पहाड़पुर, थाना- सरैया, जिला- मुजफ्फरपुर वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय, झाझापर में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
24. यूनुस अख्तर, पिता रहमत अली, निवासी ग्राम-महानन्द बखरी थाना- मेहसी, जिला- पूर्वी चम्पारण वर्तमान में प्राथमिक स्कूल, बराकपुर उर्दू में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
25. सच्चिदानंद सिंह, पिता राम सोफल सिंह, निवासी ग्राम-भट्टी, थाना-जंदाहा, जिला- वैशाली वर्तमान में उत्क्रमित मध्य विद्यालय, डगराहा में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
26. श्याम नंदन कुशवाहा, पिता जगदीश भगत, निवासी ग्राम-मठिया बरियारपुर, थाना- नकटा मोतीपुर, जिला-मुजफ्फरपुर वर्तमान में उत्क्रमित मध्य विद्यालय दामोदरपुर कन्या में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
27. माला कुमारी, पति अमरेन्द्र कुमार, निवासी ग्राम व थाना मारिपुर जिला- मुजफ्फरपुर वर्तमान में प्राइमरी विद्यालय, मौराबाद में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
28. शमा परवीन, पति इस्तेयाक अहमद, निवासी ग्राम-रामराजी रोड थाना-माड़ीपुर, जिला- मुजफ्फरपुर वर्तमान में मध्य विद्यालय, गरहियाचक में शिक्षिका के पद पर पदस्थापित हैं।
29. रीता कुमारी, पति विजय कुमार, निवासी ग्राम-लोकनाथपुर, थाना बाजपट्टी, जिला- सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, भगवानपुर चौबे में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
30. फुदेन बैठा पिता दिनेश कुमार साफी, ग्राम निवासी-परमानंदपुर, थाना-डुमरा, जिला- सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय भगवानपुर चौबे में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
31. उमेश बैठा, पिता जयलाल बैठा, निवासी ग्राम-कचहरीपुर, थाना बाजपट्टी, जिला- सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, भगवानपुर चौबे में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
32. राम प्रवेश कुमार, पिता महेन्द्र महतो, निवासी, मुहल्ला - राम पदारथनगर, थाना- नगर, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय भगवानपुर चौबे में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।

33. रंजीत कुमार राम, पिता राम सुंदर महतो, निवासी ग्राम-कैलाशपुरी, थाना-डुमरा, जिला-सीतामढ़ी में वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, भगवानपुर चौबे में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
34. नरेन्द्र कुमार पंडित, पिता बलदेव पंडित, निवासी ग्राम-धनकौल, थाना- बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी में वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, भगवानपुर चौबे में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
35. सुधांशु कुमार, पिता राम सागर चौधरी, निवासी ग्राम-बनगांव ऐराजी, थाना-बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय भगवानपुर चौबे में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
36. निशा कुमारी, पति- पवित्रा पंकज, निवासी ग्राम-विश्वनाथपुर, थाना-डुमरा, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय भगवानपुर चौबे में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
37. संजू कुमारी, पति अमित कुमार अंजू, झुरनझपरा, रोड निवासी नं. 4, पी.एस.-मुजफ्फरपुर शहर, जिला-मुजफ्फरपुर वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, धनकौल बुजुर्ग में शिक्षक पदस्थापित हैं।
38. अर्चना कुमारी, पति सुशील कुमार, निवासी ग्राम-बनगांव, थाना बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, धनकौल बुजुर्ग में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
39. किरण कुमारी, पति नरेन्द्र पंडित, निवासी ग्राम-धनकौल, थाना- बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय में शिक्षक मध्य विद्यालय, धनकौल बुजुर्ग के पद पर पदस्थापित हैं।
40. प्रमिला कुमारी, पति नरेश कुमार पंडित, ग्राम निवासी-धनकौल, थाना- बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी में वर्तमान में शिक्षक राजकीय मध्य विद्यालय, धनकौल बुजुर्ग के पद पर पदस्थापित हैं।
41. अफसाना खातून, पति वजैर मंसूरी, निवासी नगर परिषद, थाना एवं जिला-शिवहर वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय धनकौल बुजुर्ग में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।

42. मो. इफतखार अली, पिता जफरुल हसन, निवासी ग्राम-बेलहिया, थाना बाजपट्टी,जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, धनकौल बुजुर्ग में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
43. राहुल राज, पिता महेश राम, निवासी ग्राम-राजोपट्टी, थाना एवं जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, हरपुरवा बकरी में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
44. मो. जमशेद आलम, पिता सफीकुर रहमान, निवासी ग्राम-हरपुरवा, थाना- बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी में वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, हरपुरवा बकरी में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
45. राम यतन राय, पिता राजदो राय, निवासी ग्राम-भगनपुर, थाना बाजपट्टी,जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, हरपुरवा बकरी में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
46. साजदा परवीन, पति तनवीर आलम, निवासी ग्राम-भवदेपुर, थाना एवं जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, हरपुरवा बकरी में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
47. आशा कुमारी, पति राजेश कुमार, निवासी ग्राम-रसलपुर, थाना-डुमरा,जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, हरपुरवा बकरी में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
48. सारिका कुमारी, पति रूपेश कुमार, निवासी ग्राम-कैलाशपुरी,पी.एस.-डुमरा, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, हरपुरवा बकरी में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
49. रामनरेश बैठा, रामाशंकर बैठा के पिता , ग्राम निवासी-हरपुरवा, थाना- बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी में वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, हरपुरवा उर्दू में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
50. खुशबू कुमारी, पति आलोक आनंद, निवासी ग्राम-परशुरामपुर,पी.एस.- परसौनी, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, हरपुरवा उर्दू में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
51. नूरी खातून, मो. वारिस की पति, निवासी ग्राम-भैरोकोरी, थाना-डुमरा,जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, हरपुरवा उर्दू में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।

52. लालबाबू चौधरी, पिता प्रदीप चौधरी, निवासी ग्राम-हरपुरवा, थाना- बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी में वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, हरपुरवा हिन्दी में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं
53. सुधांजली कुमारी, पति विश्वनाथ महतो, निवासी-मोहनपुर, थाना बलुआ जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, हरपुरवा हिन्दी में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं
54. निखत परवीन, पति तुफैल अहमद, निवासी ग्राम-इंद्रवा, थाना-परिहार, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय प्राथमिक स्कूल, आलमनगर नईम ताल में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं
55. दीपमाला कुमारी, पति शिवशंकर कुमार, ग्राम निवासी-रमनगरा, थाना-रीगा, जिला-सीतामढ़ी में वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, आलमनगर नईम टोल में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं
56. हसीब अहमद, पिता अतीक अहमद, निवासी ग्राम-मिर्जापुर, थाना बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय विद्यालय, आलमनगर नईम टोल प्राथमिक में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं
57. नूरजहाँ बेगम, पति कलीमुल्लाह, निवासी ग्राम-मदारीपुर थाना- बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, धनकौल अंसारी टोल में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं
58. गीता कुमारी, पति महेश पासवान, निवासी ग्राम-बहादुरपुर, पी.एस. बहादुरपुर, जिला-दरभंगा वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, धनकौल, अंसारी टोल में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं
59. वजैर मंसूरी, पिता अमीरुल्लाह मंसूरी, निवासी नगर परिषद वार्ड क्रमांक 7, पी.एस. शिवहर, जिला-शिवहर में वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, धनकौल, अंसारी टोल में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं
60. अर्चना कुमारी, पति रंजीत कुमार, निवासी ग्राम-बनगांव ऐराजी, थाना- बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी में वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, बनगांव बालक में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं

61. राजीव कुमार, पिता नागेन्द्र बैठा, निवासी ग्राम-बनगांव, थाना बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, दाउदपुर इंदिरा आवास में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
62. ऋचा रानी, पति भरत कुमार, निवासी ग्राम - बनगांव ऐराजी, थाना- बाजपट्टी, जिला- सीतामढ़ी, वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, दाउदपुर इंदिरा आवास में शिक्षिका के पद पर तैनात हैं।
63. मो. नसीम अहमद, पिता मो. इब्राहिम, निवासी ग्राम- मधुरापुर, थाना- बाजपट्टी, जिला- सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, दाउदपुर इंदिरा आवास में शिक्षिका के पद पर पदस्थापित।
64. माधुरी कुमारी, पति अशोक कुमार ठाकुर, निवासी ग्राम- प्रताप नगर मेहसौल, थाना व जिला- सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, बनगांव बाजार में शिक्षिका के पद पर तैनात हैं।
65. नगमा आफरीन, पति मो. आफताब आलम, निवासी ग्राम- मिल टोला राजोपट्टी, थाना- डुमरा, जिला- सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, बनगांव बाजार में शिक्षिका के पद पर तैनात हैं।
66. कुमारी लक्ष्मी, पति संजय कुमार, निवासी ग्राम-कुरथैया, थाना-बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी, वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, बनगांव बाजार में शिक्षिका के पद पर पदस्थापित हैं।
67. कौशल कुमारी, पति अरुण कुमार, निवासी ग्राम- बनगांव बाजार, पी.एस.- बाजपट्टी, जिला- सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, बनगांव बाजार में शिक्षिका के पद पर तैनात हैं।
68. रेखा कुमारी, पति अवधेश कुमार, निवासी ग्राम- बनगांव, पी.एस.- बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, बनगांव बाजार में शिक्षिका के पद पर तैनात हैं।
69. प्रियदश्मी कुमारी, पति दिनेश कुमार, निवासी ग्राम-भरौकोठी, थाना-डुमरा, जिला-सीतामढ़ी, वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, बनगांव बाजार में शिक्षिका के पद पर पदस्थापित हैं।

70. रामजी पासवान, पिता महेंद्र पासवान, निवासी ग्राम-मुरलियाडीह, थाना- बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी में वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, महमदा में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
71. रौनक परवीन, पुत्री मो. सलातदीन, निवासी ग्राम मधुबनगोत, थाना- बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय महमदा में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
72. संजय कुमार, पिता राजकुमार साह, निवासी ग्राम-सहबाजपुर, थाना-रीगा, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय प्राथमिक स्कूल, महमदा में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
73. रजिया परवीन, पति मो. सनातल्लाह, निवासी ग्राम-मुरलियाडीह थाना- बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, मुरलियाडीह में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
74. फूल कुमारी पति राकेश रंजन, निवासी ग्राम-संदवारा चौक, थाना-बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, मुरलियाडीह में शिक्षिका के पद पर पदस्थापित हैं।
75. अशोक मिश्र की पति शबनम कुमारी, निवासी ग्राम-पटदौरा, थाना-बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, संदवारा हजाम टोल में शिक्षिका के पद पर पदस्थापित हैं।
76. पवन कुमारी यादव, पति सुकेश कुमार, निवासी ग्राम- बसहा, थाना- बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, संदवारा हजाम टोल में शिक्षिका के पद पर पदस्थापित हैं।
77. संजीत कुमार की पति प्रतिभा कुमारी, निवासी ग्राम-फतेहपुर, थाना-डुमरा, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, संदवारा हजाम टोल में शिक्षिका के पद पर पदस्थापित हैं।
78. रामाकांत सिंह, पिता राजनंदन सिंह, निवासी ग्राम-महमदा, थाना-बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, मधुबन बाजार में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।

79. देव नारायण पासवान के पिता मनोज कुमार, निवासी ग्राम-हसनपुर, थाना-बरहरवा, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, रघुनाथपुर में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
80. मुकेश कुमार, पिता दीनबंधु राठत, निवासी ग्राम-बनगांव, थाना बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, रघुनाथपुर में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
81. ब्यूटी कुमारी, पति मुकेश कुमार सिंह, निवासी ग्राम-सरडीहा वार्ड नंबर 12, थाना बलुआ जिला-सहरसा वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, रघुनाथपुर में शिक्षिका के पद पर पदस्थापित हैं।
82. ऋतुराज की पति मौसम कुमारी, निवासी ग्राम-जिहुली वार्ड नंबर 2, थाना. पताही, जिला-पूर्वी चम्पारण वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, रघुनाथपुर में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
83. विजयकांत शर्मा की पति निभा कुमारी, निवासी ग्राम-बरहरवा, थाना-बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, बरहरवा हिंदी में शिक्षिका के पद पर पदस्थापित हैं।
84. देव नारायण पासवान के पिता विनोद पासवान, निवासी ग्राम-हसनपुर वार्ड नंबर 5 बरहरवा, थाना- बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, बरहरवा हिंदी में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
85. मोहित कुमार शर्मा के पिता अनिल कुमार, निवासी ग्राम-लोकनाथपुर, थाना-बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, लोकनाथपुर में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
86. अखिलेश कुमार, पिता राम नगीना प्रसाद चौधरी, निवासी ग्राम-भदियाँ, थाना-नानपुर, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, लोकनाथपुर में शिक्षक पदस्थापित हैं।
87. शत्रुघ्न कुमार सिंह, पिता राम नंदन सिंह, निवासी ग्राम-लोकनाथपुर, थाना-बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, लोकनाथपुर में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।

88. मो. अंजार अंसारी की पति असगरी, निवासी ग्राम-हुमायुपुर, थाना बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, लोकनाथपुर में शिक्षिका के पद पर पदस्थापित हैं।
89. रियासत, पिता ऐनुल हक, निवासी ग्राम-नगरा, थाना-बेनीपट्टी, जिला-मधुबनी वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, लोकनाथपुर में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
90. प्रभाकर वर्मा, पिता चन्द्र मोहन प्रसाद, निवासी ग्राम-हुमायुपुर, थाना-बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, रामनगर में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
91. नीता कुमारी, पति कमलेश श्रीवास्तव, निवासी ग्राम -हुमायुपुर, थाना- बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, हुमायुपुर अंसारी टोल में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
92. नाजरा खातून, पति तुफैल अहमद निवासी ग्राम-हुमायुपुर, थाना-बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, हुमायुपुर अंसारी टोल में शिक्षिका के पद पर पदस्थापित हैं।
93. शशि, पति शत्रुघ्न कुमार सिंह निवासी ग्राम-लोकनाथपुर, थाना-बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, लोकनाथपुर में शिक्षिका के पद पर तैनात हैं।
94. मुकेश कुमार श्रीवास्तव, पिता ए.एन.पी.श्रीवास्तव, निवासी मुहल्ला लक्ष्मी किशोरी हाई स्कूल के पीछे, थाना. नगर, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, मुरौल में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
95. हरिश्वंद्र साह के पिता मनोज कुमार, निवासी ग्राम-मधुकरपुर बगहा, थाना-सोनबर्षा, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, मुरौल में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
96. जय किशोर भगत, पिता शिव नारायण भगत, निवासी ग्राम-मुरौल, थाना-बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, मुरली में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
97. उषा वर्मा, पिता युगल किशोर वर्मा, निवासी ग्राम -मुरौल, थाना- बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी में वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, मुरौल में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।

98. नूतन भारती, पिता रमेश प्रसाद, निवासी ग्राम-डुमरा बारी बाजार, थाना-डुमरा, जिला-सीतामढ़ी में वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, मुरौल में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
99. तुफैल अहमद, पिता हबीब शाह, निवासी ग्राम-हुमायूपुर, थाना बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य स्कूल, हुमायूपुर में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
100. शिला कुमारी, पति अखिलेश पासवान, निवासी ग्राम-मधुबनी बेलहिया, थाना-बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी में वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, बेलहिया में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
101. उषा कुमारी, पति मृत्युंजय कुमार, निवासी ग्राम-सिरखिरिया, पी.एस.-रून्नी सैदपुर, जिला-सीतामढ़ी में वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, बेलहिया में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
102. अनंती कुमारी, पति रामबाबू चौधरी, निवासी ग्राम-जूरन छपरा, रोड नंबर 4, थाना एवं जिला-मुजफ्फरपुर राजकीय मध्य विद्यालय, बेलहिया में शिक्षक वर्तमान में पदस्थापित हैं।
103. मो. गुलाम रब्बानी, पिता मो. कमरुल हक अंसारी, निवासी ग्राम -राजोपट्टी चक महिला, थाना बलुआ जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, बेलहिया में शिक्षक पदस्थापित हैं।
104. शिवजी ठाकुर, पिता चंदेश्वर ठाकुर, निवासी ग्राम-बेलहिया थाना- बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, बेलहिया में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
105. राम बालक सिंह की पति किरण कुमारी, निवासी ग्राम-बथनाहा, थाना-बथनाहा, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, भासेपुर बिनटोल में शिक्षिका के पद पर पदस्थापित हैं।
106. मो. नूर आलम, पिता हाजी मोहम्मद एकबाल हुसैन, निवासी ग्राम-फुलवरिया, थाना-बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, बासुल उर्दू में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।

107. मो. अरशद, पिता मो. फारूक, निवासी ग्राम-फुलवरिया, थाना बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, फुलवरिया उर्दू में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
108. लक्ष्मेश्वर झा के पिता मदन कुमार, निवासी ग्राम-राधौर, थाना-सुरसंड, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, बसौल उर्दू में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
109. गायत्री कुमारी, पति संजीत कुमार साफी, निवासी ग्राम-बनौली हरारी दुलारपुर, थाना-सुरसंड, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, बसौल उर्दू में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
110. सर्वेश कुमार, पिता नंद किशोर साह, निवासी ग्राम-बसौल, थाना बेलसंड, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, बसौल उर्दू में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
111. अरबाइन खातून, पुत्री मो. एकबाल, निवासी ग्राम-बारी फुलवरिया, थाना-बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, फुलवरिया उर्दू में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
112. तस्कीन आरा बेगम, पति मो. कमरे आलम, निवासी ग्राम -फुलवरिया, थाना-बाजपति, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, फुलवरिया उर्दू में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
113. नुजहत परवीन, पति मो. अजकर, निवासी ग्राम-फुलवरिया, थाना-बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, फुलवरिया उर्दू में शिक्षिका के पद पर पदस्थापित हैं।
114. अनु कुमारी, पति अरविंद कुमार, निवासी ग्राम-महियार थाना-बथनाहा, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, गुरु जी टोला, रायपुर में शिक्षिका के पद पर पदस्थापित हैं।
115. अब्दुल खालिक, पिता मो. हबीब के , निवासी ग्राम-बनतारा, थाना बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, बनतारा उर्दू में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।

116. रेनू कुमारी, पति अनिल कुमार वर्मा, निवासी ग्राम-पटदौरा, थाना-बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, बनतारा कुर्मी टोल में शिक्षिका के पद पर पदस्थापित हैं।
117. बबीता कुमारी, पति संजय कुमार ठाकुर, ग्राम निवासी -बाजितपुर, थाना- बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी में वर्तमान में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय, बनतारा कुर्मी टोल।
118. सुजीत कुमार, पिता सुरेंद्र प्रसाद चौधरी, निवासी ग्राम-बाजितपुर, थाना-बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, बनतारा कुर्मी टोल में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
119. मैमुना खातून, पति मो. साबिर, निवासी ग्राम-नुनाही, थाना परिहार, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, बनतारा उर्दू में शिक्षिका के पद पर पदस्थापित हैं।
120. प्रतिभा कुशवाहा, पति सूर्य भूषण सिंह निवासी ग्राम-अधखानी, थाना-परिहार, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, बनतारा उर्दू में शिक्षिका के पद पर पदस्थापित हैं।
121. सुनीता देवी, पति पवन कुमार निवासी ग्राम-बाजितपुर, थाना-बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, बाजितपुर में शिक्षिका के पद पर पदस्थापित हैं।
122. नीतीश कुमार, पिता देवनाथ राय, निवासी ग्राम-बरियारपुर, थाना. डुमर, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, भीखा में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
123. कामेश्वर पासवान की पति रूपम कुमारी, निवासी ग्राम-परसंडी, थाना-परिहार, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, भीखा में शिक्षिका के पद पर पदस्थापित हैं।
124. संगीता कुमारी, पति संतोष कुमार झा, निवासी ग्राम व थाना सुरसंड जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य स्कूल, भीखा में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं
125. अनुकंपा कुमारी, पति अरुण कुमार, निवासी ग्राम-जवाही, थाना सुरसंड,जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य स्कूल, भीखा में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं

126. रेखा भारती, पति शिव शंकर महतो, निवासी ग्राम-दोस्तिया थाना- सोनबर्षा, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, भीखा में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं
127. विमला कुमारी, पति हरि किशोर पंडित, निवासी ग्राम-बिशनपुर, थाना- बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में प्राइमरी स्कूल, बिशनपुर में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं
128. फरजाना फातमी, पति मो. अबरार, निवासी ग्राम-फुलवरिया, थाना बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, कंचनपुर उत्तर टोल में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं
129. सुदीश कुमार, पिता राज किशोर साह, निवासी ग्राम-पुनौरा, थाना-डुमरा, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय भीखा बिन टोल में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं
130. रूपा कुमारी, पति सुनील कुमार, निवासी ग्राम-बनगांव बाजार, थाना- बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, बनतारा उर्दू में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं
131. राधे श्याम सिंह, पिता कृष्णन्दन सिंह, निवासी ग्राम -पथराही, थाना- बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी में वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, नरहा कला में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं
132. विकाश कुमार अंशु, पिता सोनेलाल पासवान, निवासी ग्राम-पतदौरा, थाना बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य स्कूल, शिवार्डपट्टी में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं
133. बशीष कुमार बिहारी, पिता सोगरथ बैठा, निवासी ग्राम -महुआइन, थाना- बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी में वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, महुआइन पाठक टोल में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं
134. बिपिन कुमार छत्रधारी, पिता उपेन्द्र कुमार, ग्राम निवासी -नरहा कला, थाना- बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, नरहा कला में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं

135. आलोक कुमार रंजन, पिता अवध प्रसाद, निवासी ग्राम -कुर्थहिया, थाना- बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, नरहा में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
136. राज कुमार, जगदीश महतो, निवासी ग्राम-बाचोपट्टी, थाना-बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय बाजोपट्टी गोट में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
137. सीमा कुमारी, पति अरविन्द मिश्र, निवासी ग्राम-नरहा, थाना बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, कुराठिया में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
138. मनोज कुमार, राजदेव प्रसाद सिंह, निवासी ग्राम-पतदौरा, थाना-बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, सदवाड़ा में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
139. मो. नसीम अहमद, पिता मो. यूसुफ अंसारी, निवासी ग्राम-मधुरापुर, थाना-बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय मधुरापुर उर्दू में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
140. शाहिना परवीन, पति मो. सफीक, निवासी ग्राम-सन्दवारा, थाना बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय प्राथमिक स्कूल, मधुरपुर उर्दू में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
141. रेनू कुमारी पति महादेव प्रसाद, निवासी ग्राम-मधुरापुर, थाना- बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, मधुरपुर उर्दू में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
142. सदरुल गन्नी अंसारी पिता अब्दुल गन्नी, निवासी ग्राम व थाना सुरसंडजिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय प्राथमिक स्कूल, मधुरपुर उर्दू में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
143. नीलम कुमारी, पति मुकेश कुमार, निवासी-ग्राम-रानी छपरा, एवं जिला-पूर्वी चम्पारण वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, मधुरापुर मंडल टोल में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।

144. सुजीत कुमार सिंह, पिता दीप नारायण सिंह, निवासी ग्राम -बखरी, थाना- बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी में वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, मधुरापुर मंडल टोल में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
145. देवेन्द्र मंडल, पिता रामलखन मंडल, निवासी ग्राम -महम्मदपुर, थाना- बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय बसंतपुर बसंत में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
146. विजय कुमार शर्मा, पिता हरि किशोर झा, निवासी ग्राम -बनगांव, थाना- बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी में वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, बसंतपुर बसंत में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
147. पवन कुमार दीपक, पिता राम नंदन मंडल, निवासी ग्राम -मधुरापुर मंडल टोल, थाना- बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, मधुरापुर में पदस्थापित शिक्षक के पद पर।
148. बिकाऊ राम, मुखा राम, निवासी ग्राम-मधुरापुर, थाना-बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय मधुरापुर मंडल टोल में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
149. मो. सनातल्लाह, मो. सरफुल हसन, निवासी ग्राम-बरहरवा, थाना-बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, बरहरवा हिन्दी में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
150. मो. कामरान, पिता मो. जुबैर, निवासी ग्राम महौली मानकर, थाना जाले, जिला-दरभंगा वर्तमान में राजकीय मध्य स्कूल, बबुरबन में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
151. अमोल पासवान, पिता राम बहादुर पासवान, निवासी ग्राम-रामपुर पचासी, थाना-पुपरी, जिला-सीतामढ़ी में वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, बबुरबन शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
152. विनोद साह, वैयनाथ साह, निवासी ग्राम-बखरी, थाना-बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय बबूरबन में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
153. रियाज अहमद, पिता ए. वारिस, निवासी ग्राम व थाना-हरलाखी जिला-मधुबनी वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय बबूरबन में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।

154. तेज नारायण पासवान, पिता प्रभु पासवान, ग्राम निवासी -बबुरबन, थाना- बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी में वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, बबुरबन में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
155. सुलेखा कुमारी, पति विनोद कुमार, निवासी ग्राम-बबुरबन, थाना बाजपट्टी,जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय यूसुफपुर में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
156. सबा परवीन, पति शकील अहमद, निवासी ग्राम-राजोपट्टी, थाना बाजपट्टी,जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय यूसुफपुर में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
157. रिजवाना खातून, पति मो. निसारुल, निवासी ग्राम-उसुफपुर, थाना बाजपट्टी,जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय यूसुफपुर में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
158. अब्दुल्लाह, पिता मो. जियार्रहमान, निवासी ग्राम-बखरी, थाना बाजपट्टी,जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य स्कूल, हलीम टोल में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
159. मो. अमानुल्लाह, पिता मो. वक़उल्लाह, निवासी ग्राम-बाजपट्टी बकरी, थाना-बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, हलीम टोल में शिक्षक के पद पर तैनात हैं।
160. नसरीन तबस्सुम, पति मो. अमानुल्लाह, निवासी ग्राम-बाजपट्टी बकरी, थाना-बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, हलीम टोल में शिक्षिका के पद पर तैनात हैं।
161. इशरत जहां खालिक, पति मो. अतीकुर्रहमान, ग्राम-बाजपट्टी बकरी, थाना-बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी निवासी - सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय हलीम टोल में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
162. मो. सुहैल, पिता खलील अंसारी, निवासी ग्राम-हुमायूपुर, थाना-बैजपति जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य स्कूल, हलीम टोल में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
163. अमीना खातून, पति लुत्फुल्लाह, निवासी ग्राम-बाजपट्टी बकरी, थाना बाजपट्टी,जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य स्कूल, हलीम टोल में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।

164. रीना कुमारी, पति सुनील कुमार चौधरी, निवासी ग्राम -हरपुरवा, थाना- बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी में वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, आबिदपुर बकरी शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
165. रितु कुमारी, पति ऋषिकेष कुमार, निवासी ग्राम-नोचा, थाना-परिहार,जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य स्कूल, बाशहा कन्या में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
166. कृष्णा कुमारी पति राज कुमार, निवासी ग्राम-बाशहा, थाना-पटना बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय स्कूल, बाशहा कन्या में शिक्षिका के पद पर पदस्थापित हैं।
167. रीना कुमारी, पति ललितेश्वर कुमार, निवासी ग्राम-बाशहा, थाना बाजपट्टी,जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य स्कूल, बाशहा कन्या में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
168. सुकेश कुमार, विष्णुदेव राय, निवासी ग्राम-बाशा, थाना-बाजपट्टी,जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय कचहरीपुर कोरियाही में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
169. शिव शंकर पासवान, पिता सुरेंद्र पासवान, निवासी ग्राम -परसौनी, थाना-डुमरा, जिला-सीतामढ़ी में वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, मधुबन बकरी कन्या उर्दू में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
170. यास्मीन, पति मो. अतहर कमाल, निवासी ग्राम-कचहरीपुर, थाना बाजपट्टी,जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य स्कूल, कछारीपुर उर्दू में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
171. मो.वाहिद अली अंसारी, पिता मो.हरूफ अंसारी, निवासी ग्राम -राजोपट्टी, थाना- डुमरा, जिला-सीतामढ़ी में वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, कचहरीपुर उर्दू में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
172. ग्राम निवासी मिन्नत परवीन पति शेख मोहम्मद वजैफा -बनतारा, थाना- बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी में वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, कचहरीपुर उर्दू में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
173. जहां आरा बेगम, पति महबूब राजा, निवासी ग्राम-बरहरवा,थाना- बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, कछारीपुर उर्दू में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।

174. मोहम्मद इमाम अली, इस्लाम शाह के पिता , ग्राम-रामंगारा, पी.श्रीगा के निवासी, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य स्कूल, कछारीपुर उर्दू में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं
175. पिंकी कुमारी, पति राकेश कुमार साह, निवासी ग्राम-जैतपुर, थाना-पुपरी,जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, पिपराही उर्दू में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं
176. उषा कुमारी, पति सुरेंद्र कुमार निराला, निवासी ग्राम-पिपराही,थाना- बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, पिपराही उर्दू में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं
177. स्वाति सुमन, पति बीरेन्द्र कुमार कर्ण, निवासी ग्राम-तरैया, थाना-मधुबापुर,जिला-मधुबनी वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, पिपराही उर्दू में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं
178. फरहत जहां पति असफाक अहमद, निवासी ग्राम-पिपराही, थाना बाजपट्टी,जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, पिपराही उर्दू में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं
179. प्रेमचन्द्र राय, पिता शीतल राय, निवासी ग्राम-इनराटोल पिपराही,थाना- बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, पिपराही उर्दू में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं
180. बलित्तलाह अंसारी, पिता ओली मोहम्मद, निवासी ग्राम-पिपराही, थाना-बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, पिपराही उर्दू में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं
181. मो. बदरे आलम, पिता बसीर अहमद, ग्राम-पिपराही, थाना-बाजपट्टी,जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, पिपराही उर्दू में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं
182. जीतेन्द्र कुमार सिंह, पिता जगबहादुर महतो, निवासी ग्राम -पिपराही, थाना-बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी में वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, फरुआ भवानी में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं
183. मो. अहमद राजा, मो. आलम के पिता , निवासी ग्राम-पिपराही, थाना बाजपट्टी,जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, फरुआ भवानी में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं

184. विकास, पिता जगदीश मिश्र, निवासी ग्राम-भासेपुर, थाना-बाजपट्टी,जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय रतवारा में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं
185. जय शंकर झा, भोली झा के पिता , निवासी ग्राम-भलनी मदन, थाना बाजपट्टी,जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य स्कूल, रतवारा में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
186. विवेक शरण, पिता बसंत शरण, निवासी ग्राम-शांति नगर, थाना-झुमरा,जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य स्कूल, रतवारा में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं
187. पल्लवी कुमारी, पति योग नारायण सिंह, निवासी ग्राम-रामपुर परोरी, थाना-झुमरा, जिला-सीतामढ़ी में वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, रतवारा में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं
188. जूली कुमारी, पति परवीन कुमार, निवासी ग्राम-सिरसी, थाना एसनानपुर,जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य स्कूल, रतवारा में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं
189. राजीव कुमार, पिता बिंदा सिंह, निवासी ग्राम-सौरा, थाना-बाजपट्टी,जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय रुदौली में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं
190. सगुफ्ता प्रवीण, पति मोबसीर ह्यात, निवासी ग्राम-मदारीपुर, थाना बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, रुदौली में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं
191. कुमारी पूनम कश्यप, पति रमेश प्रसाद साह, ग्राम निवासी-मानिक चौक, थाना-रुन्नी सैदपुर, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय रुदौली में शिक्षक पदस्थापित हैं
192. मो. हसन इमाम, पिता ऐनुल हक, निवासी ग्राम-गोरर, थाना बाजपट्टी,जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, माधोपुर उर्दू हसनपुर में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं
193. महफूज आलम, पिता मोदसिर ह्यात, निवासी ग्राम-आवापुर, थाना पुपरी,जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, माधोपुर उर्दू हसनपुर में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं

194. ललिता बैठा, पति बाथू बैठा, निवासी ग्राम-सौरा, थाना बाजपट्टी,जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, भालनी मदन में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं
195. मरगूब अहमद, पिता अब्दुल मलिक, निवासी ग्राम-मदारीपुर, थाना बाजपट्टी,जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, माधोपुर टोल में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं
196. नौशाद अहमद, पिता मोमताज अहमद, निवासी ग्राम-गोरर, थाना बाजपट्टी,जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, माधोपुर टोल में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं
197. रेनू कुमारी, पिता पवन पासवान, निवासी ग्राम-बेला, थाना एसनानपुर जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, माधोपुर टोल में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं
198. अल्ताफ हुसैन, पिता मो. युसूफ, निवासी ग्राम-मधुरापुर, थाना बाजपट्टी,जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, माधोपुर टोल में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं
199. फरजाना खातून, पति सुहैल अहमद, निवासी ग्राम-गोरार, थाना बाजपट्टी,जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, माधोपुर टोल में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं
200. मोबिन, पिता फरमूद अंसारी, निवासी ग्राम-हुमायूपुर, थाना बाजपट्टी जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, माधोपुर टोल में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं
201. नरेन्द्र कुमार पिंचू पिता राम आसरे राम, निवासी ग्राम-कुम्हरा बिशनपुर, थाना-डुमरा, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय सौरा में शिक्षक पद पर पदस्थापित हैं
202. प्रतिभा कुमारी, पति राजीव कुमार, निवासी ग्राम-सौरा, थाना बाजपट्टी,जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय सौरा में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं
203. प्रमिला कुमारी, पति लोटन साह, निवासी ग्राम-माधोपुर चतुरी, थाना- बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय, सौरा में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं

204. अब्दुर रब, पिता अब्दुल अहमद, निवासी ग्राम-मदारीपुरी, थाना बाजपट्टी,जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य स्कूल, मीरजापुर उर्दू में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं
205. कबीर अहमद, पिता जहीर अहमद, निवासी ग्राम-रजघट्टा, थाना एवं जिला-मधुबनी वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय मीरजापुर उर्दू में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं
206. मो. खैरुल बसर, पिता मुर्तजा अंसारी, निवासी ग्राम-बेलहिया, थाना-बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, मीरजापुर उर्दू में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
207. फरहत आरा, पति कफिल अहमद, निवासी ग्राम-मिर्जापुर, थाना बाजपट्टी,जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य स्कूल, मीरजापुर उर्दू में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं
208. फरहत आरा, मो. असलम की पति, निवासी ग्राम-नानपुर, थाना-नानपुर,जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय मीरजापुर उर्दू में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं
209. रेयाज अहमद, पिता सौकत अली, निवासी ग्राम-मदारीपुर, थाना बाजपट्टी,जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य स्कूल, मीरजापुर उर्दू में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं
210. मुन्नी कुमारी, पति शिव राव अम्बेडकर, निवासी ग्राम-बाजितपुर,थाना-डुमरा, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में प्राइमरी स्कूल, नटवा टोल में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं
211. मो. मोबसीर हुसैन, पिता नोमान अहमद, निवासी ग्राम -मदारीपुर, थाना- बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी में वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय, नटवा टोल शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं
212. पवन पासवान, पिता भुरन पासवान, निवासी ग्राम-जलालपुर बगरी, थाना-पुपरी, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय,महबूब अली टोल में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं
213. मो. लालबाबू, पिता मो. अलाउद्दीन, निवासी ग्राम-भखरोहर, थाना-बैरगनिया,जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, मीरजापुर उर्दू में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं

214. सबा महमूद, पिता मो. जैब, निवासी ग्राम-आवापुर, थाना- पुपरी,जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय मीरजापुर उर्दू में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
215. निखत परवीन पति ऐजाज अहमद, निवासी ग्राम-मदारीपुर, थाना बाजपट्टी,जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय प्राथमिक स्कूल, मीरजापुर उर्दू में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
216. अशरफुल निशा, पति मो. जियातल हसन, निवासी ग्राम-मिर्जापुर थाना- बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, मीरजापुर उर्दू में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
217. जमील अहमद, पिता मो. याह्या, निवासी ग्राम-मदारीपुर, थाना बाजपट्टी,जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय प्राथमिक स्कूल, मीरजापुर उर्दू में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
218. कलीम अख्तर, पिता मो. नसीम अख्तर, निवासी ग्राम-मदारीपुर थाना- बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में प्राइमरी में विद्यालय, मदारीपुर पश्चिम शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
219. जियातल हुसैन, पिता मो. मोजिबुर रहमान, निवासी ग्राम-मिर्जापुर,थाना- बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में प्राइमरी विद्यालय, मदारीपुर पश्चिम में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
220. संजय कुमार सुमन, पिता शिवधारी भगत, निवासी ग्राम -लोकनाथपुर, थाना- बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी में वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, मदारीपुर बरई टोल में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
221. परिमल कुमार, पिता राम परीक्षण चौधरी, निवासी ग्राम -कुमारपट्टी, थाना- पुपरी, जिला-सीतामढ़ी में वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, मदारीपुर बरई टोल में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
222. महमूद आलम, पिता मो. मुस्ताख, निवासी ग्राम-आवापुर, थाना पुपरी,जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय प्राथमिक स्कूल, मदारीपुर उर्दू में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।

223. तनवीर आलम, पिता मो. नजीर आलम, निवासी ग्राम-बेला, थाना एसनानपुर जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय प्राथमिक स्कूल, मदारीपुर उर्दू में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
224. अंजू कुमारी, पति लक्ष्मी पासवान, निवासी ग्राम-मुरलियाडीह थाना- बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, मदारीपुर उर्दू में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
225. अख्तरी खातून, पति जियातल हक, निवासी ग्राम व थाना एसनानपुर जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय प्राथमिक स्कूल, मदारीपुर उर्दू में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
226. हेमन्त कुमार, पिता मदन सिंह, निवासी ग्राम-सिरसिया तरियानी छपरा, पी.एस. एवं जिला-सीतामढ़ी में वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, सौली में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
227. लालबाबू दास, पिता रामचन्द्र दास, निवासी ग्राम-चंदौली, थाना-बेलसण्ड, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय महती तमया टोल चंदौली में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
228. शशिरंजन, पिता राजकिशोर सिंह, निवासी ग्राम-मध्कौल जाफरपुर, थाना-बेलसंड, जिला-सीतामढ़ी में वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, मध्कौल में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
229. दीपक कुमार सिंह, पिता लक्ष्मेश्वर सिंह, निवासी ग्राम -झुमरा, थाना-बेलसंड, जिला-सीतामढ़ी में वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, हसौर में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
230. दिनेश कुमार, पिता राजेन्द्र भगत, निवासी ग्राम-भण्डारी, थाना-बेलसण्ड, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय भरवारी चमार टोल में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
231. राजेश्वर कुमार, पिता बनार्जी राय, निवासी ग्राम-पचनौर, थाना-बेलसंड, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, पचनौर में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
232. मो. महफूज आलम पिता अबुल खैर, निवासी ग्राम-बसहिया, थाना-पिपराही, जिला-शिवहर वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, रेपौली में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।

233. शंभु मंडल, पिता अखिलेश्वर मंडल, निवासी ग्राम -बसंतपुर थाना-रीगा, जिला-सीतामढ़ी में वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, सौली गोट में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
234. कुमारी विभा राय, पति नरेन्द्र कुमार, निवासी ग्राम-पचनौर पी.एस.-बेलसंड, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, गणेशपुर में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
235. नरेन्द्र कुमार, पिता रामदेव राय, निवासी ग्राम-पचनौर, थाना-बेलसण्ड, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य स्कूल, सुखी में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
236. रंजीत कुमार, पिता रघुनाथ प्रसाद, निवासी ग्राम-मधुबन बाजार, थाना- बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी में वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, मैरुकी में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
237. दिवाकर कुमार, पिता अनिल कुमार, निवासी ग्राम-बारी बाजितपुर, थाना बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य स्कूल, मैरुकी में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
238. मोतीलाल, पिता हीरा लाल, निवासी ग्राम-नवाही, थाना-सुरसंड, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय श्रीखंडी मिक्का कन्या में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
239. मो. जुबेर आलम, पिता मो. अलाउद्दीन अंसारी, ग्राम निवासी -मटौना, थाना- सुरसंड, जिला-सीतामढ़ी में वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय, सिगियाही में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
240. चन्द्ररेखा कुमारी, पति दिनेश कुमार, निवासी ग्राम-भण्डारी, पी.एस.-बेलसंड, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में प्राइमरी में स्कूल, देऊरी गेस्ट हाउस में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
241. सुनीला कुमारी, पति रामबाबू ठाकुर, निवासी ग्राम-भंडारी, पी.एस.-बेलसंड, जिला-सीतामढ़ी वर्तमान में मिडिल में विद्यालय, जाफरपुर मुसहर टोल शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
242. गजेन्द्र कुमार, पिता नागेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम-पताही, थाना-बेलसंड, जिला-सीतामढ़ी, वर्तमान में मध्य विद्यालय, रुकुनपुर पताही में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।

..... याचिकाकर्त्ता/गण

बनाम

1. बिहार राज्य अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।
2. अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना।

..... प्रत्युत्तरकर्ता/प्रतिवादीगण

साथ में

सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 3436/2024

1. कमलेश्वर प्रसाद यादव पिता शिव नारायण प्रसाद यादव, निवासी ग्राम - पथरा, पो. - रसीदपुर, थाना - गरखा, जिला- सारण, छपरा, वर्तमान में यू.एम.एस. पथरा, गरखा, सारण में ब्लॉक शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं।
2. कुमार अमरेन्द्र पाण्डे, पिता श्री मिथिलेश कुमार पाण्डे, निवासी ग्राम- अछितयारपुर, पी.ओ. और पी.एस. - गरखा, जिला - सारण, छपरा, वर्तमान में यूएमएस अछितयारपुर हिंदी, गरखा, सारण में प्रखंड शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं।
3. सुनीता कुमार, पति कुमार अमरेन्द्र पाण्डे, ग्राम निवासी-अछितयारपुर, पी.ओ. और पी.एस. - गरखा, जिला- सारण, छपरा, वर्तमान में यूएमएस अछितयारपुर हिंदी, गरखा, सारण में प्रखंड शिक्षक के पद पर कार्यरत।
4. विजय कुमार, पिता श्री भागीरथ प्रसाद, निवासी ग्राम-मोसाहब टोला, पी.ओ.-पहाड़पुर, पी.एस. गरखा, जिला- सारण, छपरा, वर्तमान में एम.एस महमदा, गरखा, सारण में ब्लॉक शिक्षक के पद पर कार्यरत है
5. शशि कांत, पिता श्री बिद्या नंद सिंह, निवासी ग्राम एवं पी.ओ.-महम्मदपुर, थाना-गरखा, जिला- सारण, छपरा, वर्तमान में कार्यरत यूएमएस अछितयारपुर हिंदी, गरखा, सारण में प्रखंड शिक्षक के रूप में।
6. अजय कुमार प्रसाद, पिता श्री सुनील कुमार प्रसाद, ग्राम निवासी-माईकी, पी.ओ. - गरखा, पी.एस. - गरखा, जिला- सारण, छपरा, वर्तमान में यूएमएस अछितयारपुर, गरखा, सारण में प्रखंड शिक्षक के पद पर कार्यरत।

7. श्री नाथ सिंह, पिता नागेश्वर सिंह, निवासी ग्राम व थाना-पिरौना, पीएस - गरखा, जिला- सारण, छपरा, वर्तमान में कार्यरत हैं यूएमएस अखितयारपुर हिंदी, गरखा, सारण में प्रखंड शिक्षक।
8. विनय कुमार, पिता श्री मुनेश्वर राय, निवासी ग्राम-नारायणपुर, पी.ओ.- रहमपुर, पी.एस.- गरखा, जिला- सारण, छपरा, वर्तमान में कार्यरत यूएमएस बंगारी, ग्राखा, सारण में ब्लॉक शिक्षक के रूप में।
9. दिलीप कुमार, पिता श्री लक्ष्मण प्रसाद, निवासी ग्राम-बनवारी बसंत, पी.ओ. - बसंत, थाना- गरखा, जिला- सारण, छपरा, संप्रति पी.एस. खोरीपाकर, सारण में पंचायत शिक्षक के रूप में कार्यरत।
10. माला देवी, पति श्री जीतेन्द्र कुमार सिंह, निवासी ग्राम कदना, पी.ओ.-महम्मदपुर, पी.एस. - गरखा, जिला - सारण, छपरा, वर्तमान में पी.एस. खोरीपाकर, सारण में पंचायत शिक्षक के रूप में कार्यरत।
11. तारकेश्वर ठाकुर, पिता श्री राम बालक ठाकुर, ग्राम निवासी एवं पी.ओ.- इटवा, पी.एस. - गरखा, जिला- सारण, छपरा, वर्तमान में कार्यरत हैं यूएमएस बंगारी, सारण में प्रखंड शिक्षक।
12. कंचन रे, पति श्री संतोष कुमार, निवासी ग्राम-मुबारकपुर, पी.ओ. - गुरुकुल मेहिया, पी.एस.- गरखा, जिला- सारण, छपरा, वर्तमान में एम.एस महमदा, सारण में ब्लॉक शिक्षक के पद पर कार्यरत।
13. फिरोज हसन, पिता ईसा अनारी, निवासी गांव व पी.ओ.- साधपुर, पी.एस.-गरखा, जिला- सारण, छपरा, वर्तमान में पी.एस. बगाही, सारण में पंचायत शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं।
14. ताहिर हुसैन, पिता मोहम्मद खलील अंसारी, छपरा के गांव व पी.ओ. साधपुर, पी.एस. गरखा, जिला सारण की निवासी, वर्तमान में यू.एम.एस. पथरा, सारण में प्रखंड शिक्षिका के पद पर कार्यरत हैं।
15. फरहत आफरीन, पति फिरोज हसन, गांव व पी.ओ. साधपुर, पी.एस. निवासी- गरखा, जिला- सारण, छपरा, वर्तमान में यू.एम.एस. साधपुर, सारण में ब्लॉक शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं।

..... याचिकाकर्तागण

बनाम

1. बिहार सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, नई के माध्यम से बिहार राज्य सचिवालय, पटना।
2. अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, नया सचिवालय, पटना।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार सरकार, बुद्ध मार्ग, पटना।
4. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार सरकार नया सचिवालय, पटना।

..... प्रतिवादीगण

साथ में

सिविल रिट क्षेत्राधिकार केस संख्या 3997/2024

विमल कुमार, पिता श्री द्वारिका सिंह, निवासी ग्राम - कुरमुरी, कुरमोही, पी.एस. - सिकरहाटा, जिला - भोजपुर, पिन-802207

..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. बिहार राज्य मुख्य सचिव, बिहार, पटना के माध्यम से।
2. अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना -800015।
3. संयुक्त सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

... प्रतिवादीगण

साथ में

सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 4106/2024

अरुण कुमार ठाकुर पिता स्वर्गीय हीरा लाल ठाकुर निवासी वार्ड संख्या 16, जगदंबा नगर, जमला रोड, नकछेद टोला, पुलिस स्टेशन-मोतिहारी टाउन, जिला-पूर्वी चंपारण,

..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. बिहार राज्य मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।

2. अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना।
5. क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक, मुजफ्फरपुर क्षेत्र, जिला-मुजफ्फरपुर।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी।
7. जिला कार्यक्रम अधिकारी, स्थापना (शिक्षा), जिला-पूर्वी चंपारण, मोतिहारी।

..... प्रतिवादीगण

साथ में

सिविल रिट क्षेत्राधिकार केस संख्या 4565/2024

परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ, बिहार पंजीकृत कार्यालय रक्षा (दक्षिण), वाया कांति, पी.एस. करजा, जिला-मुजफ्फरपुर, अपने राज्य अध्यक्ष बंशी धर ब्रजवासी, पिता नंदकिशोर सहनी, निवासी-गांव-रक्षा (दक्षिण), पी.एस.-करजा जिला-मुजफ्फरपुर के माध्यम से प्रतिनिधित्व किया

..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. बिहार राज्य, अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, सरकार के माध्यम से। बिहार सरकार, नया सचिवालय, पटना।
2. अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, नया सचिवालय, पटना।
3. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, नया सचिवालय, पटना।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, नया सचिवालय, पटना।
5. सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

..... प्रतिवादीगण

उपस्थिति :-

(सिविल रिट अधिकार क्षेत्र केस संख्या 1942/2024 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए	:	श्री वाई.वी. गिरी, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्री आलोक कुमार सिंह, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	श्री पी.के. शाही, एजी

श्री विकास कुमार, एजी के एसी
 श्री संजीव कुमार, एजी के एसी
 श्री अमीश कुमार, एजी के एसी
 श्री विपिन कुमार, एजी के एसी
 श्री अजीत कुमार, जीए-9

(सिविल रिट अधिकार क्षेत्र केस संख्या 2036/2024 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए	:	श्री मृत्युंजय कुमार, अधिवक्ता श्री अरिंजय कुमार, अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार सिंह, अधिवक्ता श्री मोहम्मद दानिश कमर, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	श्री पी.के. शाही, महाधिवक्ता

(सिविल रिट क्षेत्राधिकार केस संख्या 2192/2024 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए	:	श्री शशि भूषण कुमार, अधिवक्ता श्रीमती रुचि मंडल, अधिवक्ता
प्रतिवादी/ओं के लिए	:	श्री पी.के. शाही, ए.जी.

(सिविल रिट क्षेत्राधिकार केस संख्या 2205/2024 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए	:	श्री डी.एस. नायङ्, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शशि भूषण कुमार, अधिवक्ता श्री अनिमेष कुमार, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	श्री पी.के. शाही, महाधिवक्ता श्री विकास कुमार, ए.सी. टू ए.जी. श्री संजीव कुमार, ए.सी. टू ए.जी. श्री विपिन कुमार, ए.सी. टू ए.जी. सुश्री अनुकृति जयपुरियार, अधिवक्ता
प्रतिवादी/प्रतिवादियों की ओर से :		श्री ललित किशोर, वरिष्ठ अधिवक्ता

(सिविल रिट अधिकार क्षेत्र केस संख्या 2288/2024 में)

याचिकाकर्ता/प्रतिवादियों की ओर से	:	श्री मृत्युंजय कुमार, अधिवक्ता श्री अरिंजय कुमार, अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार सिंह, अधिवक्ता श्री मोहम्मद दानिश कमर, अधिवक्ता
राज्य की ओर से	:	श्री पी.के. शाही, महाधिवक्ता
बीएसईबी के लिए	:	श्री मनीष कुमार, अधिवक्ता श्री ज्ञान शंकर, अधिवक्ता

(सिविल रिट क्षेत्राधिकार केस संख्या 2382/2024 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए	:	श्री डी.एस. नायडू, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अनिमेष कुमार, अधिवक्ता श्री औंकार कुमार, अधिवक्ता श्री नवल किशोर सिंह, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	श्री पी.के. शाही, एजी
बीएसईबी के लिए	:	श्री मनीष कुमार, अधिवक्ता

(सिविल रिट क्षेत्राधिकार केस संख्या 2783/2024 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए	:	श्री रिकेश सिन्हा, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	श्री पी.के. शाही, महाधिवक्ता

(सिविल रिट क्षेत्राधिकार केस संख्या 2823/2024 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए	:	श्री प्रिंस कुमार मिश्रा, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	श्री पी.के. शाही, महाधिवक्ता

(सिविल रिट क्षेत्राधिकार केस संख्या 2922/2024 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए	:	श्री बिपिन बिहारी सिंह, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	श्री पी.के. शाही, महाधिवक्ता

(सिविल रिट क्षेत्राधिकार केस संख्या 3056/2024 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए	:	श्री वाई.सी. वर्मा, सीनियर एडवोकेट श्रीमती प्रियंका सिंह, एडवोकेट श्री अविजीत सिंह, एडवोकेट श्री आदर्श सिंह, एडवोकेट श्री प्रत्यूष प्रताप सिंह, एडवोकेट श्री मुकेश कुमार, एडवोकेट श्री विकास कुमार झा, एडवोकेट
-----------------------	---	--

राज्य की ओर से	:	श्री अरविंद उज्ज्वल, एडवोकेट
----------------	---	------------------------------

बीएसईबी की ओर से	:	श्री सुनील कुमार मंडल, एससी-3
------------------	---	-------------------------------

(सिविल रिट अधिकार क्षेत्र केस संख्या 3107/2024 में)

याचिकाकर्ता/ओं की ओर से	:	श्री बिपिन बिहारी सिंह, एडवोकेट
राज्य की ओर से	:	श्री पी.के. शाही, महाधिवक्ता

(सिविल रिट क्षेत्राधिकार केस संख्या 3122/2024 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए	:	श्री रंजीत कुमार, अधिवक्ता श्री आयुष कुमार, अधिवक्ता
-----------------------	---	---

श्री कनिष्ठ रौस्तुभ, अधिवक्ता
 श्री शिखर मणि, अधिवक्ता
 श्री ऋषभ गुप्ता, अधिवक्ता
 श्री कनिष्ठ शंकर, अधिवक्ता
 श्री पी.के. शाही, महाधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री पी.के. शाही, महाधिवक्ता

(सिविल रिट क्षेत्राधिकार केस संख्या 3436/2024 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री बिपिन बिहारी सिंह, अधिवक्ता
 प्रतिवादी/ओं के लिए : श्री पी.के. शाही, महाधिवक्ता

(सिविल रिट क्षेत्राधिकार केस संख्या 3997/2024 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री राजेंद्र नारायण, वरिष्ठ अधिवक्ता
 श्री मृत्युंजय कुमार, अधिवक्ता
 राज्य के लिए : श्री पी.के. शाही, महाधिवक्ता

(सिविल रिट क्षेत्राधिकार केस संख्या 4106/2024 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री पारिजात सौरव, अधिवक्ता
 राज्य के लिए : श्री पी.के. शाही, महाधिवक्ता

(सिविल रिट क्षेत्राधिकार केस संख्या 4565/2024 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री मनोज कुमार मनोज, अधिवक्ता
 राज्य के लिए : श्री पी.के. शाही, महाधिवक्ता
 श्री ललित किशोर, वरिष्ठ अधिवक्ता
 श्री ज्ञान शंकर, अधिवक्ता

भारत का संविधान---अनुच्छेद 20, 309, 47, 48, 243-जी, 73 वां संशोधन—बच्चों का अधिकार मुक्त और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009---धारा 23—बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 --- खंड 22, 47 146—बिहार स्कूल एक्सम्बल्यूसिव टीचर्स रूल्स, 2023, बिहार राज्य स्कूल शिक्षक (नियुक्ति, हस्तांतरण, अनुशासनात्मक कार्यवाही) अधिनियम, 2023---नियम 3 (3), नियम 4, क्लॉज 2 (xxi), नियम 19 (i), (ii)—अनुच्छेद 309 के तहत नियम 4 के Proviso द्वारा नियोजित शिक्षक के कब्जे वाले क्षेत्र में वैधानिक नियम द्वारा उल्लंघन—एक्सम्बल्यूसिव टीचर्स रूल्स, 2023—पहले के नियम के तहत अपीलीय अधिकारियों को जिला न्यायपालिका और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे—नए नियम के तहत—क्षेत्रीय उप निदेशक के रूप में अपीलीय प्राधिकरण के रूप में—नवगठित कैडरों को पदोन्नति।

आदेश:नियम 4 और 12 अनुच्छेद 309 के तहत अस्वीकार कर दिया गया—अनन्य शिक्षकों के नियम, 2023 को बरकरार रखा गया—राज्य सरकार ने प्रत्येक कैडर के प्रत्येक कैडर के उद्देश्य के लिए प्रत्येक कैडर के प्रचार के लिए पदोन्नति के लिए अधिकार सुनिश्चित करने के लिए फ्रेम योजना को निर्देशित किया।

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

कोरम: माननीय मुख्य न्यायाधीश

और माननीय श्री न्यायमूर्ति हरीश कुमार

सीएवी निर्णय

(प्रति: माननीय मुख्य न्यायाधीश)

दिनांक: 02-04-2024

राज्य दो विषयों से जूझ रहा है; स्कूल जाने वाले बच्चों को मानक शिक्षा प्रदान करना और शिक्षकों की नियुक्ति और निरंतरता, जो विषय एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं और इसलिए, बेईमानी से और फर्जी प्रमाणपत्रों पर की गई नियुक्तियों के कारण अनिवार्य रूप से अपशकून हैं। राज्य ने शिक्षकों के चयन के विभिन्न तरीकों के साथ प्रयोग किया है; जिनमें से कई विफल रहे, और अपने लंबे अनुभव से दो नए नियम लेकर आया है, दोनों का उद्देश्य शिक्षा के उच्च मानक को बनाए रखना है; एक, लिखित परीक्षा के माध्यम से प्रशिक्षित योग्य हाथों का चयन सुनिश्चित करना और दूसरा, उन लोगों के कौशल को बढ़ाना, जिन्हें परीक्षा से गुजरना होगा, जिसमें उत्तीर्ण होने पर बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। राज्य ऐसी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने में संतुलन बनाए रखने के लिए एक कठिन पथ पर चल रहा है, साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षकों की वर्तमान पीढ़ी अपनी आजीविका न खो दे। मौजूदा नियोजित शिक्षकों से संबंधित ऐसे ही अधिनियमों में से एक, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियम, 2023 (संक्षिप्त रूप में 'विशिष्ट शिक्षक नियम-2023') को चुनौती दी गई है क्योंकि यह अधिकारहीन, अक्षम है और शिक्षकों की नियुक्ति और सेवा को विनियमित करने वाले मौजूदा नियमों के अंतर्गत आता है।

2. याचिकाकर्ताओं, जो पंचायत शिक्षक हैं (जिन्हें वैकल्पिक रूप से 'नियोजित' कहा जाता है) की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री वाई.वी.गिरी ने बताया कि सभी याचिकाकर्ता ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (संक्षिप्त रूप में 'एनसीटीई') द्वारा

निर्धारित प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाने की योग्यता है। उन्हें बिहार पंचायत प्राथमिक शिक्षक (नियुक्ति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2006 (संक्षेप में 'प्राथमिक शिक्षक नियमावली-2006') के तहत नियुक्त किया गया था और बाद में बिहार पंचायत शिक्षक नियमावली, 2012 (संक्षेप में 'पंचायत शिक्षक नियमावली-2012') द्वारा विनियमित किया गया। उनमें से कुछ 2006 से पहले नियुक्त शिक्षा मित्र थे, जिन्हें प्राथमिक शिक्षक नियमावली-2006 के तहत नियोजित शिक्षक के रूप में शामिल किया गया था। जब पंचायत शिक्षक नियमावली-2012 लागू हुई, तो सभी शिक्षकों को अपनी योग्यता की जांच के लिए एक परीक्षा देनी पड़ी और केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होने वालों को ही नियम 15 बी के अनुसार नियमित वेतनमान और वेतन वृद्धि दी गई। केवल योग्य शिक्षकों को ही उनकी योग्यता स्थापित करने पर जारी रखा गया था, और यह आग्रह किया जाता है कि इन शिक्षकों को अब एक और योग्यता परीक्षा की झंझट से नहीं गुजरना चाहिए, जब उन्होंने पहले ही अपनी योग्यता स्थापित कर ली है।

3. फिर बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्यवाही और सेवा शर्त) नियमावली, 2020 (संक्षेप में, 'स्थानीय निकाय नियमावली-2020') आई। सरकारी शिक्षकों और नियोजित शिक्षकों के बीच विवाद था, जिनमें से नियोजित शिक्षकों को समान कर्तव्यों का निर्वहन करने के बावजूद बेहतर वेतन और पारिश्रमिक मिल रहा था। मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ले जाया गया, जिसने बिहार राज्य और अन्य बनाम बिहार माध्यमिक शिक्षक संघर्ष समिति मुंगेर और अन्य में उठाए गए सरकारी शिक्षकों के बराबर समानता के दावे को खारिज कर दिया; (2019) 18 एससीसी 301. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सरकार द्वारा उठाया गया विशेष तर्क यह था कि सरकारी शिक्षक एक लुप्त वर्ग थे और राज्य सरकार ने नियोजित शिक्षकों की कार्य स्थितियों में सुधार किया था और उन्हें सरकारी शिक्षकों के बराबर नहीं माना जा

सकता। स्थानीय निकाय नियम-2020 के तहत जारी रहते हुए, विशिष्ट शिक्षक नियम, 2023 के वर्तमान नियम लागू हुए, जिसमें योग्यता परीक्षा में उपस्थित होकर आगे का चयन अनिवार्य है। यह दावा किया जाता है कि नियोजित शिक्षकों ने पंचायत शिक्षक नियम-2012 के लागू होने पर खुद को साबित कर दिया था और योग्यता की आवधिक और आवर्ती परीक्षा का कोई सवाल ही नहीं है। यह तर्क दिया जाता है कि अब प्रख्यापित नियम अनुच्छेद 20 का उल्लंघन करते हैं; क्योंकि यह एक ही स्कूल में शिक्षकों के दो वर्ग बनाने के मामले में भेदभाव लाता है। नियम का उद्देश्य ही नियोजित शिक्षकों को समान लाभ से वंचित करना है। पंजाब राज्य बनाम जगजीत सिंह, (2017) 1 एससीसी 148 पर भरोसा किया जाता है। हमें तुरंत ध्यान देना होगा कि संघर्ष समिति (सुप्रा) में, जगजीत सिंह (सुप्रा) को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पहले के फैसलों को ध्यान में नहीं रखा गया था (sic-para100)।

4. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दामा शेषाद्रि नायडू ने प्रस्तुत तर्कों को स्वीकार करते हुए बताया कि शिक्षकों की दो नहीं, बल्कि चार श्रणियां बनाने के मामले में स्पष्ट और प्रत्यक्ष भेदभाव हैं; एक पुराने राज्य सरकार शिक्षक, फिर नियोजित शिक्षक और अब बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्यवाही और सेवा शर्तें) नियम, 2023 (संक्षेप में 'राज्य विद्यालय शिक्षक नियम-2023') और विशिष्ट शिक्षक नियम-2023 द्वारा बनाए गए दो संवर्ग। एक अन्य छिपा हुआ वर्ग भी है, जिसकी नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दिए गए वचन के आधार पर की गई थी, जिसमें फिर से 30,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी।

5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संघर्ष समिति (सुप्रा) में राज्य शिक्षकों को लुस वर्ग माना है; जिसे अब राज्य विद्यालय शिक्षक नियम-2023 द्वारा पुनः लागू किया गया है। अनन्य शिक्षक नियम-2023 इस मामले में भेदभाव पैदा करता है कि अनन्य शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के बाद कोई कैरियर प्रगति संभव नहीं है। नियोजित शिक्षक वर्षों से

अर्जित अपनी स्थिति में बने रह सकते हैं, ऐसी स्थिति में उन्हें स्थानीय निकाय नियम-2020 द्वारा विनियमित किया जाएगा, जिसमें पदोन्नति के अवसर हैं; जो अनन्य शिक्षकों के लिए नहीं है। अनन्य शिक्षकों के संबंध में वेतन निर्धारण अलग है और उनमें से कई को अनन्य शिक्षकों के बनाए गए नए कैडर में जाने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। अंतिम परिणाम होगा, (i) कोई मौद्रिक लाभ नहीं, (ii) मौजूदा कैरियर प्रगति के कारण ठहराव और (iii) वरिष्ठता का नुकसान। यह अनन्य शिक्षकों के कैडर के निर्माण का कुल योग है, जो न तो यहां होंगे और न ही वहां। उन्हें राज्य विद्यालय शिक्षक नियम-2023 के तहत नवनियुक्त शिक्षकों के बराबर नहीं माना जाएगा और वे नियोजित शिक्षकों से अलग वर्ग होंगे, जो इस तरह से जारी रहेंगे, जिसके परिणामस्वरूप स्पष्ट और स्पष्ट भेदभाव होगा।

6. हमें नियमों के माध्यम से स्पष्ट विसंगतियों को इंगित करने के लिए ले जाया गया, विशेष रूप से नियम 3 (3) में, जो शिक्षकों को स्थानीय निकाय शिक्षकों के रूप में जारी रखने का प्रावधान करता है, भले ही वे योग्यता परीक्षा में उत्तीर्ण न हों। पंचायत या नियोजित या स्थानीय निकाय शिक्षक, ये सभी शब्द वैकल्पिक रूप से उपयोग किए जाते हैं, स्थानीय निकायों द्वारा नियुक्त किए गए और इस तरह से जारी रहने वाले राज्य विद्यालय शिक्षकों से अलग हैं, जिन्हें अब नियुक्त किया जाना है। नियम 4 के प्रावधान ने उनके भाग्य को विभाग द्वारा गठित एक समिति पर छोड़ दिया, जिसने वर्तमान में योग्यता परीक्षा में तीन प्रयासों के बाद भी योग्य नहीं होने वाले व्यक्तियों को समाप्त करने की सिफारिश की है, जो कि कानून के खिलाफ है।

7. विद्वान महाधिवक्ता ने तुरंत जवाब दिया कि अब योग्यता परीक्षा में बैठने के लिए पांच अवसरों का प्रावधान है और जवाबी हलफनामे में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई समाप्ति नहीं होगी। श्री नायडू ने मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त; (1978) 1 एससीसी 405 का हवाला देते हुए तर्क दिया कि कार्यकारी आदेश या यहां तक कि

प्रख्यापित नियमों को जवाबी हलफनामे में दिए गए कथनों से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है।

8. श्री नायडू ने जोरदार ढंग से कहा कि संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत लाए गए नियम स्पष्ट रूप से एक व्यस्त क्षेत्र में हैं। स्थानीय निकाय नियमावली-2020 और 2006 तथा 2012 के पूर्ववर्ती नियमावली अनुच्छेद 309 के अंतर्गत नहीं बनाए गए थे। स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली-2020, जो अभी भी विद्यमान है, को संविधान के अनुच्छेद 243-जी तथा बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 146 के साथ धारा 22 और 47 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियमों से ही बनाया गया है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से अनुच्छेद 243-जी ने पंचायत राज संस्थाओं को भारी जिम्मेदारियां सौंपी थीं और बिहार पंचायत राज अधिनियम ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों और अनुदेशकों के चयन और नियुक्ति के लिए प्रावधान करके इसे प्रभावी बनाया, विशेष रूप से संविधान के 73 वें संशोधन को ध्यान में रखते हुए। इस प्रकार पंचायत राज संस्थाओं को चयन एवं नियुक्ति का कार्य सौंपे जाने के पश्चात अनुच्छेद 309 के अंतर्गत कोई और नियम नहीं बनाया जा सकता।

9. अनुच्छेद 309 और उसका परंतुक जिसके अंतर्गत उक्त विवादित नियम बनाया गया है, को क्षणिक प्रावधान कहा जाता है; इसका उद्देश्य केवल तब तक शून्यता से बचना है जब तक कि अनुच्छेद 309 के अंतर्गत उपयुक्त विधानमंडल के अधिनियम द्वारा या उसके अंतर्गत कोई प्रावधान न किया जाए। इसलिए, जब कोई वैधानिक नियम लागू होता है, जिस पर विधानमंडल की भी मुहर होती है, तो निश्चित रूप से उक्त क्षेत्र पर उक्त विधान का कब्जा होता है और अनुच्छेद 309 के अंतर्गत लाया गया नियम कब्जे वाले क्षेत्र पर अतिक्रमण करता है। ए.बी. कृष्णा बनाम कर्नाटक राज्य, (1998) 3 एससीसी 495 और डॉ. यादव बनाम आर.के. सिंह सी.ए.5506/2003 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा

18.07.2023 को निर्णय दिया गया, जिसमें स्थिति समान है और इसलिए, नियम को पूरी तरह से रद्द किया जाना चाहिए।

10. हमने एक विशिष्ट प्रश्न रखा है कि क्या यह नियम नियोजित शिक्षकों के लिए फायदेमंद नहीं है; जो लोग परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं उन्हें राज्य विद्यालय के शिक्षकों के समान लाभ के साथ अनन्य शिक्षकों के रूप में शामिल किया जाता है, जबकि जो लोग उत्तीर्ण नहीं होते हैं, उन्हें नियोजित शिक्षक के रूप में जारी रखने की अनुमति दी जाती है। श्री नायडू रूपकात्मक रूप से इसे 'मकड़ी द्वारा मक्खी को अपने घर में आमंत्रित करने' के समान बताते हैं और जोर देते हैं कि इसका परिणाम केवल मक्खी की मृत्यु होगी। नियोजित शिक्षक उसी तरह बने रहेंगे जैसे वे हैं और ऐसी परिस्थिति में, यदि नियम को निरस्त भी कर दिया जाता है, तो वे स्थानीय निकाय नियमावली-2020 के तहत बने रहने के हकदार होंगे, जिससे वे संतुष्ट होंगे।

11. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजेंद्र नारायण ने भी प्रस्तुत तर्कों को स्वीकार किया है और एक और आधार जोड़ा है, जहां तक कि कब्जे वाला क्षेत्र बिहार राज्य शिक्षण संस्थान शिक्षक और कर्मचारी (विवाद निवारण और अपील) नियमावली, 2020 (संक्षेप में 'निवारण नियमावली-2020') के आधार पर भी प्रासंगिक है। उक्त नियमावली विशिष्ट शिक्षक नियमावली-2023 के तहत निरस्त की जाती है, जो अनुच्छेद 309 के तहत अनुमेय नहीं होगी, क्योंकि पूर्व एक वैधानिक नियम है। इससे नियोजित शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक दोनों को विशिष्ट शिक्षक नियमावली-2023 के तहत लाने की विषम स्थिति पैदा होगी; कम से कम विवादों के निवारण के लिए। यह संभव या कानूनी नहीं है क्योंकि स्थानीय निकाय नियम-2020 क्षेत्र पर कब्जा करता है और कब्जे वाले क्षेत्र पर कोई अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है। निवारण नियम-2020 के तहत एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और एक सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश को अपीलीय प्राधिकरण में नियुक्त किया गया था, जो

अब शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक हैं, जो विभाग के मामलों से सक्रिय रूप से संबंधित हैं और 'सीज़र से सीज़र की पति' के लिए अपील होगी। याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित अन्य विद्वान वकील ने विद्वान वरिष्ठ वकील की दलीलों को अपनाया।

12. विद्वान महाधिवक्ता ने आरंभ में ही विशिष्ट शिक्षक नियमावली-2023 को चुनौती दिए जाने पर आश्वर्य व्यक्त किया, जिसके अंतर्गत नियोजित शिक्षकों में से कम से कम कुछ को लाभ प्रदान किया जाएगा, जिन्हें राज्य विद्यालय शिक्षकों के समान माना जाएगा, जिन्हें अब राज्य विद्यालय शिक्षक नियमावली-2023 के अनुसार नवनियुक्त किया गया है। विद्वान महाधिवक्ता ने जवाबी हलफनामे में बिहार राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति के इतिहास की ओर इशारा किया है, जो कम से कम तब उथल-पुथल भरा था, जब राज्य अधिक शिक्षकों की आवश्यकता को उनके वेतन के लिए अपने पास उपलब्ध सीमित संसाधनों के साथ संतुलित करने का प्रयास कर रहा था। पहले शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की गई थी और एक उदार उपाय के रूप में राज्य ने उन्हें 2006 के नियमावली के अंतर्गत नियोजित शिक्षकों के रूप में समाहित कर लिया था। इन उपायों का वांछित प्रभाव नहीं हुआ और शिक्षण मानकों में सुधार नहीं हुआ। शिक्षकों के चयन और नियुक्ति में स्थानीय स्वशासन निकायों को शामिल करने का प्रयोग, जिसे विकेंट्रीकरण के उपाय के रूप में भी देखा गया, बुरी तरह विफल रहा। विकेंट्रीकरण के लिए किया गया प्रयास केवल निराशाजनक छात्र-शिक्षक अनुपात और विशेष रूप से समाज के हाशिए के वर्गों से बढ़ती ड्रॉपआउट के कारण था, जो बिहार राज्य में बहुसंख्यक हैं, जो सरकारी स्कूलों में भर्ती हो रहे हैं। यह बताया गया है कि राज्य की 80 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है और केवल 12 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख आबादी ने राज्य को पंचायत, ब्लॉक और जिला स्कूलों में नियुक्ति की प्रक्रिया में स्थानीय निकायों को लाने के लिए प्रेरित किया, जो क्रमशः पंचायतों, प्रखंडों और जिला परिषदों के अधिकार क्षेत्र में थे।

13. स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में जो भरोसा जताया गया था, उसे पूरा नहीं किया गया और प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के बिना नियुक्तियां की गई और बड़े पैमाने पर भाई-भतीजावाद के आरोप लगाए गए। यद्यपि चयन प्रक्रिया लागू की गई थी, लेकिन इसके क्रियान्वयन में निष्पक्षता और पारदर्शिता का अभाव था, जिससे अक्सर उद्देश्य ही विफल हो जाता था और उद्देश्य ही खतरे में पड़ जाता था। सतर्कता जांच का आदेश दिया गया था, जो अब एक निश्चित बाधा बन गई है, क्योंकि स्थानीय निकायों पर प्रभाव रखने वाले लोगों ने अपनी खाल और अपने नियुक्त लोगों को बचाने के लिए सभी अभिलेख हटा दिए हैं। बेर्डमान नियुक्तियों और फर्जी प्रमाण पत्र हासिल करने वाले शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हैं। कई शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया और कई शिक्षकों ने आपराधिक मुकदमा चलाने और वेतन वसूली की धमकी देने वाली जनहित याचिका में जारी आदेशों के बाद इस्तीफा दे दिया; यह 2006 से 2015 की अवधि से संबंधित था। कुछ जांच और संतुलन लाने के इरादे से 2012 के नियमों के तहत एक केंद्रीकृत पात्रता परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन फिर भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ।

14. संघर्ष समिति (सुप्रा) और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष राज्य सरकार के तर्कों पर भरोसा करना समय बीतने के साथ बिल्कुल अप्रासंगिक हो गया। राज्य ने अपने पिछले अनुभव से सीखते हुए और शिक्षण और शिक्षा के मानकों को ऊपर लाने में विफलता को महसूस करते हुए, अब नियमित भर्ती की एक प्रणाली शुरू की है, जिसमें न केवल योग्यता देखी जाती है, बल्कि लिखित परीक्षा के माध्यम से व्यक्तिगत क्षमता का भी परीक्षण किया जाता है। यह तथ्य कि पहले सरकारी शिक्षकों को एक लुप्त वर्ग के रूप में पेश किया जाता था, भविष्य में राज्य की कार्रवाइयों को विनियमित नहीं करेगा। असफल पूर्व अनुभव; जो संघर्ष समिति (सुप्रा) में तर्क के अनुसार वित्तीय बाधाओं से प्रेरित था, ने राज्य को नए नियम लाने के लिए प्रेरित किया।

15. राज्य से मानक शिक्षा, विशेष रूप से अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता के प्रति केवल दिखावटी सेवा करने की अपेक्षा नहीं की जाती है; निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (संक्षेप में आर.टी.ई.) के मद्देनजर यह एक वैधानिक आदेश है। केवल इसलिए कि पहले दक्षता परीक्षण किया गया था, नियोजित शिक्षक यह तर्क नहीं दे सकते कि उनकी योग्यता का परीक्षण फिर से नहीं किया जा सकता, खासकर वर्तमान समय में जब जीवन के सभी क्षेत्रों, खासकर व्यावसायिक क्षेत्रों में सतत शिक्षा पर बहुत जोर दिया जाता है। वर्तमान युग सतत शिक्षा का है और यह उन विद्यालयों के शिक्षकों के लिए अधिक प्रासंगिक है, जो राज्य के नागरिकों के भविष्य को गढ़ते और ढालते हैं। यह पता चला है कि 2006 से 2021 तक विद्यालयों में बार-बार अनुपस्थिति और बड़े पैमाने पर ड्रॉपआउट, अनुशासन की कमी, देर से खुलना और जल्दी बंद होना, ये सब शिक्षकों की ओर से ढिलाई के कारण हुआ।

17. यह बताया गया है कि आच्छादित वाले क्षेत्र के आधार पर चुनौती एक कल्पना है और बताए गए निर्णयों के सिद्धांत विषय विधान पर बिल्कुल भी लागू नहीं होते हैं। विद्वान महाधिवक्ता ने दृष्टा से तर्क दिया है कि स्थानीय निकाय नियम-2020 द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्र; नियोजित शिक्षकों पर लागू उन लोगों पर लागू होंगे जो योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत वर्तमान नियम विशिष्ट शिक्षकों का एक और कैडर बनाता है, जो राज्य स्कूल शिक्षक नियम-2023 के तहत भर्ती किए गए राज्य स्कूल शिक्षकों के बराबर हैं। विद्वान महाधिवक्ता ने बताया कि राज्य स्कूल शिक्षक नियम-2023 के तहत भी नियोजित शिक्षकों को उपस्थित होने का मौका दिया गया था। पहली परीक्षा में, 1,20,336 योग्य उम्मीदवारों में से 28,815 नियोजित शिक्षक थे। दूसरे और तीसरे टेस्ट में कुल योग्य शिक्षकों 97,518 और 5,81,305 में से 13,674 और 1,51,524 नियोजित शिक्षक उत्तीर्ण हुए। इन योग्य शिक्षकों में से अधिकांश ने ज्वाइन कर

लिया है और बाकी ने नियोजित शिक्षक के रूप में बने रहने का विकल्प चुना है; जो उनके विकल्प पर है जिसका सरकार सम्मान करती है। जहां तक विशिष्ट शिक्षकों के लिए वर्तमान परीक्षा का सवाल है, 2,32,190 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था और परीक्षा 26 फरवरी से 6 मार्च तक ऑनलाइन आयोजित की गई थी और 1,99,027 उम्मीदवारों ने भाग लिया था। परिणाम प्रतीक्षित हैं और दो सप्ताह के भीतर घोषित किए जाएंगे।

18. जो शिक्षक अहंता प्राप्त करते हैं, वे भी नियोजित शिक्षक के रूप में बने रहने का विकल्प चुन सकते हैं। परीक्षा में शामिल होने पर शिक्षकों के साथ कोई पक्षपात नहीं किया जाता है और यह उन पर निर्भर करता है कि वे विशिष्ट कैडर में शामिल हों या नियोजित शिक्षक के रूप में बने रहें। जहां तक कैरियर में प्रगति का सवाल है, विशिष्ट नियम की ओर इशारा किया गया है जो विशिष्ट शिक्षकों को भी पदोन्नति प्रदान करता है। विद्वान महाधिवक्ता ने बताया कि राज्य विद्यालय शिक्षक नियम-2023 विशेष रूप से किसी अन्य तरीके से नियुक्ति को प्रतिबंधित करता है और किसी भी स्थिति में स्थानीय निकाय नियम-2020 के तहत नियुक्ति का प्रावधान राज्य के प्रशासनिक विभाग द्वारा शुरू किया जाना है। कोई भी यह नहीं कह सकता है कि स्थानीय निकाय नियम-2020 के अनुसार नियोजित योजना के तहत नियुक्तियां जारी रखी जानी हैं।

19. विद्वान महाधिवक्ता ने तर्क दिया कि शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षकों के नए कैडर में स्थानांतरित करने के लिए पांच विकल्प दिए गए हैं। मौजूदा कैडर नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक और राज्य विद्यालय शिक्षक होंगे, जिनके पास अलग-अलग पदोन्नति के अवसर होंगे। लेकिन कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता क्योंकि पारिश्रमिक समान है और कैरियर में प्रगति की गुंजाइश है और इन विभिन्न कैडर के लिए अलग-अलग नियम लागू होते हैं जिनके स्रोत अलग-अलग हैं। यह आग्रह किया जाता है कि मोहिंदर सिंह गिल (सुप्रा) का कोई आवेदन नहीं है क्योंकि काउंटर हलफनामा किसी भी तरह से नियम को प्रतिबंधित

नहीं करता है। काउंटर हलफनामा केवल राज्य की समझ को इंगित करता है कि नियम 4 का प्रावधान केवल सिफारिशों की बात करता है जिस पर अंततः राज्य को विचार करना है। सिफारिशों शिक्षकों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं और विभिन्न जिलों में उनके समायोजन आदि के बारे में भी हैं, जो किसी भी तरह से समासि का कारण नहीं बन सकती हैं।

20. हमारे द्वारा पूछे गए एक विशेष प्रश्न के उत्तर में कि क्या कैरियर में प्रगति के उद्देश्य से कोई अनुपात नियोजित है, विद्वान महाधिवक्ता ने माना कि ऐसा कोई अनुपात नहीं है और वे राज्य सरकार को तीनों संवर्गों से समान रूप से पदोन्नति सक्षम करने के लिए ऐसा अनुपात लाने की सलाह देंगे। यह भी माना जाता है कि विशेष शिक्षक नियमावली-2023 में निरसन और बचत को देखते हुए, यह सही नहीं हो सकता है, क्योंकि यह स्थानीय निकाय नियमावली-2020 के कब्जे वाले क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है। विद्वान महाधिवक्ता आग्रह करेंगे कि सरकार का कर्तव्य बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है, विशेष रूप से उन वंचित समुदायों के बच्चों को जिनके पास निजी स्कूलों में मानक शिक्षा प्राप्त करने का कोई साधन नहीं है। बिहार के सरकारी स्कूलों में निचले तबके के दो करोड़ बच्चे पढ़ते हैं और राज्य का प्रयास केवल यह सुनिश्चित करना है कि उन्हें बिहार के प्राथमिक विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए। याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए आधार जमीनी हकीकत से बिल्कुल अलग हैं और उनका कोई कानूनी आधार नहीं है। यह दोहराया जाता है कि पदोन्नति के अनुपात और उचित अपीलीय प्राधिकरण प्रदान करने के मामले में राज्य तुरंत कार्रवाई करेगा और याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा तर्क दिए गए ऐसे दोष किसी भी वैध कानून को रद्द करने का कोई कारण नहीं हैं।

21. सबसे पहले हमें बिहार राज्य के विद्यालयों में की गई नियुक्तियों के इतिहास पर नजर डालनी चाहिए, जो हाल के दिनों में स्थानीय स्वशासन संस्था के तृतीयक

स्तर; पंचायत, प्रखंड (ब्लॉक) और जिला (जिला परिषद) पर की गई हैं। वर्ष 1981 में बिहार राज्य के माध्यमिक विद्यालयों को सरकार ने अपने अधीन कर लिया और प्रबंधन के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप, शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को सरकारी वेतनमान के साथ राज्य संवर्ग में समाहित कर लिया गया। सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से, केंद्र सरकार द्वारा 1991-1993 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी) शुरू किया गया था, उसके बाद 2001-2002 में सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था। शिक्षकों का एक समूह अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया था, जिन्हें शिक्षा मित्र कहा जाता था, जो सरकारी शिक्षकों के साथ समेकित वेतन पर काम करते रहे; जो नियमित वेतनमान पर थे। वर्ष 2006 में तीन नियम लागू हुए, एक, पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियम, 2006; शहरी क्षेत्रों के लिए बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विद्यालय शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्तें) नियम, 2006 और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बिहार जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्तें) नियम, 2006। 2006 के नियमों के तहत आमेलित शिक्षा मित्रों और इन नियमों के तहत नियुक्त शिक्षकों को संयुक्त रूप से 'नियोजित शिक्षक' कहा जाता था।

22. 2006 के नियमों ने पंचायत राज संस्थाओं को प्रमुखता दी और उन्हें विशेष रूप से भारत के संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के आलोक में प्रारंभिक शिक्षा की जिम्मेदारी सौंपी। नियमावली को संविधान के अनुच्छेद 47 और 48 तथा बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के अनुच्छेद 146 के साथ अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत लाया गया। प्रखंड शिक्षकों को पंचायतों द्वारा मध्य विद्यालयों (कक्षा-छठी से आठवीं) में तथा पंचायत शिक्षकों को ग्राम पंचायतों द्वारा प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा-एक से पांचवीं) में नियोजित किया जाना था। पात्रता, आयु निर्धारण तथा आरक्षण के साथ-साथ चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया। नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों का पैनल प्रखंड तथा पंचायत

स्तर पर पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायत के क्रमशः प्रमुख तथा मुखिया की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार किया जाना था। इन नियमों के द्वारा नियोजित शिक्षकों का वर्ग बनाया गया, जिसमें शिक्षा मित्रों को समाहित किया गया।

23. जबकि नियमों के अंतर्गत नियुक्तियां की गई तथा जारी रहीं, यह महसूस किया गया कि शिक्षा की वांछित गुणवत्ता प्राप्त नहीं हुई है; जिसके परिणामस्वरूप बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) (संशोधन) नियमावली-2009 को भारतीय संविधान एवं पंचायत राज अधिनियम के उन्हीं प्रावधानों के अंतर्गत प्रख्यापित किया गया। इस संशोधन द्वारा प्राथमिक शिक्षक नियमावली-2006 के अंतर्गत शिक्षकों के मूल्यांकन के लिए पात्रता परीक्षा का प्रावधान किया गया, जो नियुक्ति के तीन वर्ष पश्चात दो बार, छह माह के अंतराल पर आयोजित की जानी थी। पात्रता परीक्षा के आधार पर यह अभिप्राय था कि शिक्षकों का मूल्यांकन किया जाना था तथा सामान्य श्रेणी में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक तथा आरक्षित श्रेणी में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक लाने वाले शिक्षकों को 500 रुपये की वेतन वृद्धि प्रदान की जानी थी; यह प्रशिक्षित शिक्षकों पर लागू थी तथा अप्रशिक्षित शिक्षकों को 300 रुपये की वेतन वृद्धि दी जानी थी। पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण न करने वाले शिक्षकों को किसी वेतन वृद्धि का अधिकार नहीं था, लेकिन उन्हें पात्रता परीक्षा में बैठने का एक और अवसर प्रदान किया गया था; छह महीने के बाद पुनर्मूल्यांकन। पुनर्मूल्यांकन पर, यदि वे योग्य हैं, तो वेतन वृद्धि प्रदान की जाएगी और लगातार दो बार योग्य नहीं होने पर, उन्हें समाप्त कर दिया जाएगा। यह विशिष्ट पात्रता परीक्षा है जिसका याचिकाकर्ता नियोजित शिक्षकों ने अनन्य शिक्षक नियम- 2023 द्वारा पेश की गई आगे की योग्यता परीक्षा पर हमला करने के लिए भरोसा किया है।

24. इतिहास की बात करें तो राज्य सरकार ने संशोधन नियम-2009 के अनुसार राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के माध्यम से प्राथमिक शिक्षक

मूल्यांकन (दक्षता) परीक्षा-2010 आयोजित की थी। इस दौरान राज्य सरकार के शिक्षकों के संवर्ग में एकमुश्त नियुक्ति की गई थी, ताकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष राज्य के वचन को पूरा किया जा सके। राज्य ने वर्ष 2003 में एक नियम के तहत शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था, जिसे चयन में अनियमितताओं के आधार पर इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। राज्य को रिक्तियों की पुनर्गणना करने और चयन की कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया था, जिस आदेश को राज्य ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी थी और बाद में वापस ले लिया था, इस वचन के साथ कि नियुक्ति के लिए पात्र उम्मीदवारों पर विचार किया जाएगा, क्योंकि मौजूदा कुल रिक्तियां कुल पात्र उम्मीदवारों की संख्या से कम थीं। उस समय तक 2006 की नियमावली लागू हो चुकी थी और जब राज्य ने उक्त नियमावली के तहत रिक्तियों को भरने का प्रयास किया तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अवमानना का मामला दायर किया गया। शपथ-पत्र के समय रिक्तियां 34540 थीं और ऐसी नियुक्ति को सुगम बनाने के लिए राज्य द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की एकमुश्त नियुक्ति के लिए बिहार विशेष प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली-2010 लाई गई थी। इस न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा सत्यापन के बाद नियुक्तियां की गईं। बिहार विशेष प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली-2010 के तहत 32000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी, जो प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की एकमुश्त नियुक्ति के लिए एक विशेष नियमावली भी थी। इन नियमों के अनुसार नियुक्त शिक्षक जिला संवर्ग में थे और वेतन एवं सेवा शर्तें राज्य सरकार की पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले जिला संवर्ग में पहले नियुक्त शिक्षकों के समान थीं।

25. आरटीई अधिनियम के आगमन और आरटीई अधिनियम की धारा 23 के तहत प्राप्त छूट के साथ, राज्य ने प्रारंभिक विद्यालयों में कक्षा-1 से VIII तक शिक्षकों के चयन के लिए बिहार प्रारंभिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2011 तैयार की थी। आरटीई अधिनियम द्वारा

लाए गए परिवर्तन के अनुसार, फिर से प्रारंभिक शिक्षक नियमावली-2012 लाई गई, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों के नियोजन के संबंध में सभी नियम, आदेश और निर्देश निरस्त कर दिए गए। प्रारंभिक शिक्षक नियमावली-2012 को बिहार पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों के तहत भी लाया गया। इसके बाद, दिनांक 11.08.2015 की अधिसूचना द्वारा प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित नियोजित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों को उनके लिए लागू समेकित वेतन के विरुद्ध वेतनमान और उचित निर्धारण दिया गया। वर्ष 2020 में फिर से तीन नियम लाए गए; नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्यवाही और सेवा शर्त के लिए भारत के संविधान और पंचायत राज अधिनियम के तहत बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्यवाही और सेवा शर्त) नियम, 2020 और बिहार जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्यवाही और सेवा शर्त) नियम, 2020 (सामूहिक रूप से स्थानीय निकाय शिक्षक नियम-2020 कहा जाता है) को फिर से लागू किया गया है। जिसने 2012 की नियमावली को निरस्त कर दिया। प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली-2020 के अनुसार शिक्षक की परिभाषा में बेसिक ग्रेड (कक्षा-I से V) के पंचायत प्रारंभिक शिक्षक और स्नातक ग्रेड (कक्षा-VI से VIII) के पंचायत प्रारंभिक शिक्षक शामिल थे। 2014 और 2015 में संशोधित प्राथमिक शिक्षक नियमावली-2012 को निरस्त कर दिया गया। 2020 की इन नियमों को अनन्य शिक्षक नियमावली-2023 के तहत निरस्त नहीं किया गया है। प्रासंगिक रूप से इन नियमों को राज्य विद्यालय शिक्षक नियमावली-2023 के तहत भी निरस्त नहीं किया गया था; जिसमें केवल यह प्रावधान था कि पहले के नियमों के तहत कोई नई नियुक्तियां नहीं की जाएंगी जो कि विशेष रूप से राज्य विद्यालय शिक्षक नियमावली-2023 के तहत की जानी हैं।

26. सबसे पहले जिस बात पर विचार किया जाना चाहिए, वह है वर्तमान विशिष्ट शिक्षक नियमावली-2023 का अधिभोग क्षेत्र पर अतिक्रमण, यह तर्के भी इस आधार पर उठाया गया है कि संविधान और बिहार पंचायत राज अधिनियम से शक्ति प्राप्त करके लाए गए स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली-2020 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत लाए गए नियमों द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकता है। हमें तुरंत ध्यान देना होगा कि राज्य विद्यालय सेवा नियमावली-2023 और उसके द्वारा बनाए गए नए कैडर को कोई चुनौती नहीं है। विशिष्ट शिक्षक नियमावली-2023 को भी इस कारण चुनौती दी गई है कि नियोजित शिक्षकों की योग्यता का एक और मूल्यांकन किया जा रहा है और नियोजित शिक्षकों को इस तरह से बने रहने की अनुमति दी गई तो वे संतुष्ट रहेंगे। हम इस बात से स्पष्ट हैं कि अनुच्छेद 309 के अंतर्गत लाए गए नियम भारत के संविधान के प्रावधानों और किसी कानून के विशिष्ट संदर्भ में लाए गए वैधानिक नियम को निरस्त नहीं कर सकते; जिसका यह प्रयास नहीं करता है। क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत लाए गए नए नियम उसी क्षेत्र/क्षेत्र को कवर करते हैं और क्या यह भारत के संविधान और पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत लाए गए मौजूदा नियमों के अंतर्गत आता है, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका निर्णय तथ्यों के आधार पर किया जाना है।

27. हम सबसे पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को देखेंगे, जिस पर विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने भरोसा किया है। ए.बी कृष्णा (सुप्रा) में फायरमैन/फायरमैन ड्राइवरों के कैडर में कर्मचारियों द्वारा पदोन्नति के लिए दो अलग-अलग नियमों; मैसूर फायर फोर्स (कैडर भर्ती) नियम, 1971 और कर्नाटक सिविल सेवा (सामान्य भर्ती) नियम, 1977 के आधार पर परस्पर विरोधी दावे किए गए थे; पहला मामला फायर फोर्स एक्ट, 1964 के तहत लाया गया था जिसके द्वारा मैसूर फायर फोर्स की स्थापना की गई थी और सामान्य नियम, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत। इसमें, 1971 के कैडर नियम, लीडिंग फायरमैन

के पद पर पदोन्नति के लिए एक परीक्षा का प्रावधान करते हैं; जिसके आधार पर 1982 में एक परीक्षा आयोजित की गई थी और दो प्रतिवादियों सहित 43 व्यक्तियों की चयन सूची तैयार की गई थी। उन्नीस व्यक्तियों को पदोन्नत किया गया और उसके बाद कर्नाटक सरकार के नीतिगत निर्णय के आधार पर, चयन सूची संचालित नहीं की गई, क्योंकि विभागाध्यक्ष और अतिरिक्त विभागाध्यक्ष के अलावा किसी भी पद पर पदोन्नति वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर योग्यता परीक्षा के माध्यम से किसी विशेष चयन के बिना की जानी थी; जिसे भर्ती के नियमों में निर्दिष्ट तरीकों से स्वतंत्र होने का निर्देश दिया गया था, जिस नीति के आधार पर 1971 के सामान्य नियम लाए गए थे। प्रतिवादी इस बात से व्यथित थे कि जिन अपीलकर्ताओं का नाम पहले की चयन सूची में नहीं था, उन्हें पदोन्नत कर दिया गया जबकि परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिवादियों को नजरअंदाज कर दिया गया।

28. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 और अग्निशमन अधिनियम के तहत नियम बनाने की शक्ति एक ही प्राधिकरण को प्रदान की गई थी, अर्थात् सरकार को। लेकिन दोनों अधिकार क्षेत्र अलग-अलग माने गए और यह माना गया कि यदि विधानमंडल ने पहले ही कानून बना दिया है और क्षेत्र पर कब्जा है, तो राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार की सलाह पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत नियम बनाने की कोई शक्ति नहीं हो सकती। वैधानिक नियम बनाने की शक्ति प्रत्यायोजित या अधीनस्थ कानून बनाती है; अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए नियमों में यह स्थिति नहीं है, और इसलिए 'अधिकृत क्षेत्र' के सिद्धांत पर अनुच्छेद 309 के तहत नियम कानून के तहत बनाए गए नियमों का स्थान नहीं ले सकते, यह निष्कर्ष था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के लिए 'जनरलिया स्पेशलिबस नॉन डेरोगेंट' के सिद्धांत का भी उल्लेख किया। यह सामान्य सिद्धांत कि बाद में बनाया गया सामान्य कानून, पहले के विशेष कानून को केवल निहितार्थ से निरस्त नहीं करता है, को यह पता लगाने के लिए दोहराया

गया कि राज्य सरकार द्वारा अग्निशमन अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों को छुआ, बदला या संशोधित नहीं किया गया है, जो पदोन्नति के लिए एक शर्त के रूप में योग्यता परीक्षा निर्धारित करता है और वे मूल रूप में मौजूद हैं। सामान्य भर्ती नियमों द्वारा लाया गया नीति परिवर्तन, जिसमें यह प्रावधान है कि उच्च पदों पर कोई भी पदोन्नति; निर्दिष्ट पदों को छोड़कर, वरिष्ठता के आधार पर होगी और परीक्षा के आधार पर नहीं, विशेष नियमों को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता है।

29. डॉ. यादव (सुप्रा) एक अन्य मामला था जिसमें एक वैधानिक नियम और भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत एक नियम के बीच संघर्ष पर विचार किया गया था। इसमें, उत्तर प्रदेश राज्य ने यू.पी. शहरी नियोजन विकास अधिनियम, 1973 को अधिनियमित किया, जिसने राज्य सरकार को विकास प्राधिकरण के प्रभावी कामकाज के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की एक निश्चित संख्या नियुक्त करने में सक्षम बनाया। राज्य सरकार ने उसी अधिनियम द्वारा एक विकास प्राधिकरण केंद्रीकृत सेवा भी बनाई, जिसमें यह प्रावधान है कि ऐसी सेवा में शामिल किसी पद पर सेवारत व्यक्ति, ऐसे सूजन से ठीक पहले, अंततः या अनंतिम रूप से केंद्रीकृत सेवाओं में समाहित हो जाएगा; यदि वह अपने पद पर पुष्टि कर चुका है या वह अस्थायी या स्थानापन्न नियुक्ति कर रहा था, जैसा भी मामला हो। प्रथम प्रतिवादी को 1986 में सहायक अभियंता के पद पर अनंतिम रूप से पदोन्नत किया गया था और अपीलकर्ताओं को 1986-87 में पूर्णतः तदर्थ आधार पर सहायक अधिशासी अभियंता के पद पर पदोन्नत किया गया था; जबकि अपीलकर्ता और प्रतिवादी दोनों को 14.05.1987 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा सहायक अभियंता के पद पर केंद्रीकृत सेवाओं में समाहित कर लिया गया था। दो अलग-अलग नियमों के तहत वरिष्ठता के निर्धारण के बारे में प्रश्न उठा, जो थे यू.पी. विकास प्राधिकरण केंद्रीयकृत सेवा नियमावली-1985 और

यू.पी. सरकारी सेवक वरिष्ठता नियमावली-1991; पहला, एक कानून के तहत और दूसरा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत।

30. 'जनरलिया स्पेशलिबस नॉन डेरोगेंट' के उसी सिद्धांत को लागू किया गया और भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए नियम पर एक वैधानिक नियम की प्रधानता पर बल दिया गया। यह माना गया कि विशेष नियम की व्यापकता होगी और वरिष्ठता समान पद पर की गई निरंतर सेवा के आधार पर निर्धारित की जाएगी; इस शब्द का अर्थ होगा ऐसे पद जो कानूनी रूप से सुजित हैं और कैडर पर हैं, जैसा कि तदर्थ और अस्थायी पदोन्नति से अलग है।

31. हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत नियम बनाने के कार्य की सीमाओं के घोषित सिद्धांत के आगे झुकते हैं, जो कड़ाई से विधायी कार्य नहीं है और केवल संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन ही संचालित होगा। अनुच्छेद 309 की योजना के तहत, जैसा कि ए.बी. कृष्णा (सुप्रा) में माना गया है, एक बार जब विधायिका सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाला कानून बनाने के लिए हस्तक्षेप करती है, तो कार्यपालिका की शक्ति, जिसमें राष्ट्रपति या राज्यपाल भी शामिल हैं, अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत नियम बनाने की शक्ति पूरी तरह से 'कब्जे वाले क्षेत्र के सिद्धांत' (पैरा 8) के सिद्धांत पर विस्थापित हो जाती है। यह भी देखा गया कि यदि कोई मामला उस अधिनियम से प्रभावित नहीं होता है, तो कार्यपालिका को उस मामले के संबंध में या तो निर्देश जारी करने होंगे या अनुच्छेद 309 के तहत नियम बनाना होगा। उद्दृत दोनों मामलों में, एबी कृष्णा और डॉ. यादव (दोनों सुप्रा), हम देखते हैं कि कानून के तहत बनाया गया विशेष नियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत लाए गए नियम से पहले था; जैसा कि वर्तमान मामले में है। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनाया गया राइडर, कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत नियम, यदि पहले के अधिनियम द्वारा

अधिगृहीत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करते हैं, तो वे 'अधिगृहीत क्षेत्र के सिद्धांत' के सिद्धांत से प्रभावित नहीं होंगे, महत्व रखता है।

32. जैसा कि ए.बी. कृष्णा (सुप्रा) में देखा गया था कि सरकार के पास वैधानिक नियम को संशोधित या निरस्त करने की पर्याप्त शक्ति थी; अर्थात्: स्थानीय निकाय शिक्षक नियम-2020, पंचायत राज अधिनियम के तहत प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग करते हुए। लेकिन सरकार ने अपनी बुद्धिमत्ता से अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत शक्ति का प्रयोग करना चुना। इसने स्थानीय निकाय शिक्षक नियम-2020 को केवल इसलिए अदूरा छोड़ दिया क्योंकि उक्त नियम के तहत नियुक्त नियोजित शिक्षकों को जारी रखा जा रहा था और 2023 के नए नियमों का उद्देश्य राज्य विद्यालय शिक्षकों का एक नया कैडर और तुलनीय शर्तों के साथ विशिष्ट शिक्षकों का एक और कैडर बनाना था। विशिष्ट शिक्षकों का कैडर केवल नियोजित शिक्षकों को समानता के अपने लंबे समय से संजोए गए सपने को साकार करने का अवसर प्रदान करने के लिए बनाया गया था। हालाँकि, यह सपना तभी साकार हो सकता था, जब वे आयोजित परीक्षा में अपनी योग्यता साबित करें; जिसके आधार पर ही उन्हें वर्तमान में भर्ती किए गए राज्य विद्यालय शिक्षकों के बराबर माना जा सकता है। उपर्युक्त दोनों निर्णयों में, एक ही संवर्ग के व्यक्ति एक या दूसरे नियमों की प्रयोज्यता से चिंतित थे। एक मामले में, वरिष्ठता निर्धारण के लिए और दूसरे में पदोन्नति के लिए और इसलिए, दोनों नियम; विशेष नियम और सामान्य नियम एक ही क्षेत्र में एक साथ नहीं रह सकते थे। इसलिए यह पाया गया कि वैधानिक नियम उस क्षेत्र पर कब्जा कर रहा था, इस प्रकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए नियम को विस्थापित कर रहा था। वैधानिक नियम को भी सामान्य नियम पर वरीयता रखने वाला एक विशेष नियम माना गया था।

33. जैसा कि हमने वर्षों से शिक्षकों की नियुक्ति और निरंतरता के इतिहास के वर्णन में देखा है; पहले शिक्षकों के दो समूह थे, एक सरकारी शिक्षक और दूसरे अनुबंध शिक्षक; शिक्षा मित्रों को, जिन्हें 2006 के बाद की गई नई नियुक्तियों के साथ-साथ पहले से बेहतर लाभ दिए गए थे, नियोजित शिक्षक कहा गया। दोनों ही एक वर्ग से अलग थे जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संघर्ष समिति (सुप्रा) में पाया है; केवल ‘समान कार्य के लिए समान वेतन’ के सिद्धांत पर वेतन समानता और सेवा शर्तों के उद्देश्य से समान होना संभव नहीं था। उस समय सरकारी शिक्षकों को भी लुप्त हो रहा कैडर माना जाता था; राज्य सरकार की वित्तीय तंगी ने उन्हें संविदा नियुक्तियों के लिए प्रेरित किया और फिर उन्हें सरकारी शिक्षकों के लिए लागू वेतनमान से कम वेतनमान में निर्धारण दिया। प्रयोग की कोशिश की गई, लेकिन असफल रही; जैसा कि हम सरकार की बदलती नीति से देख सकते हैं। सरकार ने अब नीति की समीक्षा की है और यह निर्णय लिया गया है कि योग्य प्रशिक्षित शिक्षकों का एक कैडर नियुक्त किया जाए, वह भी लिखित परीक्षा में उनके कौशल के परीक्षण के आधार पर, जैसा कि राज्य विद्यालय शिक्षक नियम-2023 की मंशा है। यहां हमें यह दोहराना होगा कि उक्त नियम को रिट याचिकाओं के वर्तमान बैच में चुनौती नहीं दी गई है। इसे चुनौती दी गई थी जिसमें एक अंतरिम आदेश को अस्वीकार कर दिया गया था और अंतरिम आदेश प्रभावित पक्षों द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जांच से बच गया था।

34. राज्य विद्यालय शिक्षक नियम-2023 के माध्यम से राज्य पूरे राज्य में प्राथमिक विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने में अपने दायित्वों को पूरा करना चाहता है। यह सुनिश्चित करते हुए राज्य के सामने मौजूदा नियोजित शिक्षकों की समस्या थी, जिन्होंने अपने जीवन का काफी समय विद्यालयों की शिक्षा प्रणाली में बिताया था, आजीविका चलायी थी और मूल्यांकन की प्रक्रिया से गुजरे थे। जैसा कि नियमों से स्पष्ट है,

पंचायत राज संस्थाओं के माध्यम से शिक्षकों के चयन की प्रथा को समाप्त करने में राज्य की नीति में बदलाव देखा जा सकता है। सरकारी शिक्षकों की तुलना में संविदा खंड में और फिर कम वेतनमान पर शिक्षकों की एक अलग श्रेणी रखने के पहले के प्रयोग लंबे समय में विफल रहे थे। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल प्रयोगों के बावजूद, कल्याणकारी राज्य ने नियोजित शिक्षकों के भरण-पोषण को सुनिश्चित करना तथा उन्हें राज्य विद्यालय शिक्षकों के समान मानकर समानता का आभास प्रदान करना उचित समझा है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य विद्यालय शिक्षक नियम-2023 के अतिरिक्त विशिष्ट शिक्षक नियम-2023 की घोषणा की गई है।

35. हमें विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि इससे पहले भी 2006 के बाद; 2010 में तथा उसके बाद वर्ष 2012 में ऐसे नियम बनाए गए थे, जिनमें दक्षता परीक्षण निर्धारित था, जिसके तहत दो प्रयासों के बाद उत्तीर्ण न हो पाने पर सेवा समाप्त कर दी जाती थी। अभी तक विशिष्ट शिक्षक नियम-2023 ऐसे परिणाम नहीं लाता है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर बाद ‘कब्जे वाले क्षेत्र के सिद्धांत’ की प्रयोज्यता पर विचार करने के बाद चर्चा करेंगे।

36. हम देखते हैं कि दो अलग-अलग कैडर थे, एक सरकारी शिक्षकों का और दूसरा नियोजित शिक्षकों का; जो वर्ष 2010 में, सरकारी शिक्षकों को लुस हो रहे पंथ के रूप में मानने के इरादे के बावजूद, एकमुश्त विशेष भर्ती के कारण, जिला कैडर में 32000 से अधिक नियुक्तियाँ हुईं। अब तक, नियोजित शिक्षकों से एक और कैडर विशिष्ट शिक्षकों के रूप में बनाया गया है, जो राज्य द्वारा आयोजित एक परीक्षा में योग्य हैं। जो लोग योग्य नहीं हैं, उन्हें नियोजित शिक्षकों के रूप में रखा जाएगा, जब राज्य स्कूल शिक्षक नियम-2023 के अनुसार भर्ती और विशिष्ट शिक्षक नियम-2023 के नए कैडर में पोस्टिंग पूरी हो जाती है। तब, चार अलग-अलग कैडर होंगे, राज्य स्कूल शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, नियोजित शिक्षक

और पहले के सरकारी शिक्षक जिनके कैडर में एकमुश्त विशेष भर्ती के तहत शिक्षक भी होंगे। नियोजित, विशिष्ट और पहले के सरकारी शिक्षक, सभी वर्तमान में लुप्त हो रहे कैडर हैं और नए नियमों के द्वारा राज्य भर के प्राथमिक विद्यालयों में एक संरचित राज्य विद्यालय शिक्षक कैडर लाने की मांग की गई है। विभिन्न नियमों द्वारा अधिगृहित क्षेत्र मौजूदा नियोजित शिक्षकों और अलग-अलग कैडर, राज्य विद्यालय शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक हैं, जो अब बनाए गए हैं। राज्य विद्यालय शिक्षक राज्य विद्यालय शिक्षक नियम-2023 के अधीन होंगे, सरकारी शिक्षक, क्योंकि वे शुरू से ही विनियमित थे। नियोजित शिक्षक जो ऐसे ही बने रहेंगे, उन्हें स्थानीय निकाय शिक्षक नियम-2020 के तहत जारी रखा जाएगा। विशिष्ट शिक्षक नियम-2023 केवल उन नियोजित शिक्षकों पर लागू होता है, जो निर्धारित परीक्षा में बैठते हैं और उत्तीर्ण होते हैं और फिर भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत लाए गए उक्त नियमों के तहत शामिल होते हैं, जिन्हें अधिगृहित क्षेत्र नहीं कहा जा सकता है। यह नियोजित शिक्षकों के मौजूदा कैडर से अलग करके इसके आवेदन के लिए एक नया कैडर, एक नया क्षेत्र बनाता है। वैधानिक नियम, यानी: स्थानीय निकाय शिक्षक नियम-2020 नियोजित शिक्षकों पर लागू होता है जो 2023 के नियमों से पहले भी सरकारी शिक्षकों से अलग वर्ग थे; संघर्ष समिति (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक रूप से मान्यता प्राप्त है।

37. एकमात्र कठिनाई भविष्य में होने वाली नियुक्तियों के मामले में होगी, जो राज्य विद्यालय शिक्षक नियम-2023 द्वारा विनियमित होगी, जो उक्त नियम के खंड-2(xxii) में पूर्व नियमों के अनुसार पंचायत राज संस्थाओं और नगर निकाय संस्थाओं के अंतर्गत पूर्व में नियुक्त शिक्षकों को मान्यता देती है। शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन सभी सरकारी विद्यालयों में नियुक्ति के लिए नियम-3 द्वारा एक नया संवर्ग गठित किया जाता है, जिसमें नियम-4 के अनुसार विद्यालय शिक्षकों के पद सीधी भर्ती से भरे जाने हैं। नियम 19(i) में राज्य में

विद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति के प्रत्येक नियम और विनियमों, सेवा शर्तों का उल्लेख है और निर्दिष्ट किया गया है कि इसके अंतर्गत नियुक्त कोई भी व्यक्ति नियम 2023 के किसी भी प्रावधान के तहत दावा नहीं कर सकता है। नियम 19(ii) में यह भी प्रावधान है कि राज्य विद्यालय शिक्षक नियम-2023 के अधिनियमित होने के बाद किसी भी पूर्व नियम के तहत नई नियुक्ति नहीं की जा सकती है। यह एक विवादास्पद प्रश्न है कि क्या नया नियम वैधानिक नियम स्थानीय निकाय शिक्षक नियम-2020 के तहत नियुक्तियों पर रोक लगा सकता है, जो कि यह नहीं चाहता है। राज्य विद्यालय सेवा नियम-2023 नियुक्ति की प्रक्रिया का स्थान लेता है और जैसा कि विद्वान महाधिवक्ता ने बताया है, स्थानीय निकाय शिक्षक नियम-2020 के नियम 10 के तहत भी चयन की प्रक्रिया राज्य ही शुरू करता है; जो अब राज्य विद्यालय सेवा नियम-2023 के तहत किया जाएगा।

38. हमारा यह निश्चित मत है कि 'कब्जे वाले क्षेत्र का सिद्धांत' का सिद्धांत भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत लाए गए नियम पर लागू नहीं होता है, विशेष रूप से विशिष्ट शिक्षकों का एक कैडर बनाने के लिए, जिसे नियोजित शिक्षकों के कैडर से भी अलग किया गया है, जो स्थानीय निकाय शिक्षक नियम-2020 के तहत जारी हैं। हमें विशेष रूप से यह देखना होगा कि विशिष्ट शिक्षक नियम-2023 द्वारा उक्त नियम 2020 को निरस्त नहीं किया गया है, खासकर इसलिए क्योंकि इसे नियोजित शिक्षकों की निरंतरता के लिए अभी भी जीवित रहना है जो विशिष्ट शिक्षकों के रूप में योग्य नहीं हैं।

39. इस संदर्भ में, हमें विशिष्ट शिक्षक नियम के नियम 3(3) और नियम 4 के प्रावधान पर ध्यान देना होगा, जिसमें स्पष्ट रूप से कोई संघर्ष नहीं है; लेकिन समिति की तीन प्रयासों के बाद निर्धारित परीक्षा में उत्तीर्ण न होने पर सेवा समाप्त करने की सिफारिश के कारण यह अपने संचालन में असंगत है। नियम 3(3) के अनुसार स्थानीय निकाय शिक्षक (जिन्हें नियोजित शिक्षक भी कहा जाता है) जो नियम 4 के अनुसार योग्यता परीक्षा

में उपस्थित नहीं होते या उत्तीर्ण नहीं होते, वे स्थानीय निकाय शिक्षक बने रहेंगे। शिक्षकों के लिए लाभकारी यह प्रावधान दक्षता परीक्षण की पूर्व योजना के विपरीत है, जिसके परिणामस्वरूप दो असफल प्रयासों के बाद असफल शिक्षक की सेवा समाप्त कर दी जाती थी। विवादित नियम उन शिक्षकों पर लागू नहीं होता जो योग्यता परीक्षा में उत्तीर्ण न होने पर सेवा समाप्त कर दी जाती है और यह स्थानीय निकाय शिक्षकों को परीक्षा देने से परहेज करने की भी अनुमति देता है, जो हमें भी हैरान करता है कि फिर चुनौती क्यों दी गई। जो लोग परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, उनकी सेवा शर्तें बेहतर होंगी, जो केवल उनकी योग्यता की मान्यता है और जो लोग उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं और यहां तक कि परीक्षा देने से भी इनकार कर देते हैं, उन्हें अभी भी नौकरी पर रखा जाएगा।

40. कम से कम जो योग्य होंगे वे समानता के हकदार होंगे और इससे उन लोगों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जो असफल हो जाते हैं या भाग लेने से इनकार कर देते हैं, जो ‘कुत्ते की तरह चरनी में नहीं रह सकते’। वे समानता का दावा भी नहीं कर सकते जब वे आयोजित परीक्षा में उपस्थित होने या उत्तीर्ण होने में असफल रहे हों। हम विद्वान महाधिवक्ता के इस कथन पर भी विचार करते हैं कि कई नियोजित शिक्षक 2023 के नए नियमों के तहत राज्य विद्यालय शिक्षक के रूप में भर्ती में योग्य हो गए हैं, जिन्होंने अन्य जिलों में अपनी पोस्टिंग के कारण शामिल होने से इनकार कर दिया है; जो फिर भी नियोजित शिक्षक के रूप में बने रहेंगे। यह लाभ उन लोगों पर भी लागू होगा जो परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं और एक विशेष शिक्षक के रूप में नियुक्ति लेने से इनकार करते हैं। व्यक्तिगत विकल्प को दिया गया अत्यधिक महत्व पूर्वाग्रह के सभी आधारों को पूरी तरह से मिटा देता है। हमने दलीलें दर्ज करते समय पाया कि याचिकाकर्ता जो विशिष्ट शिक्षक नियम-2023 को चुनौती देते हैं, वे नियोजित शिक्षक के रूप में बने रहने से खुश हैं और राज्य विद्यालय शिक्षक नियम-2023 में प्रावधानित नई भर्ती को चुनौती नहीं देते हैं। तब सवाल उठता है कि

वे चुनौती क्यों उठाएंगे, जिसे अगर बरकरार रखा जाता है तो यह उन लोगों के खिलाफ काम करेगा और उनके प्रति पक्षपात करेगा जो आवेदन करने, भाग लेने और फिर परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर विशिष्ट शिक्षक के रूप में शामिल होने का विकल्प चुनेंगे; जो उनका व्यक्तिगत, सूचित विकल्प है।

41. हमें यह ध्यान रखना होगा कि नियम 4 का प्रावधान और प्रावधान के तहत गठित समिति द्वारा अब अनुशंसित परिणाम, हमारे सामने चुनौती को जन्म देने वाले आधारों में से एक है। यह स्वीकार किया जाता है कि समिति ने सिफारिश की है कि बार-बार असफल होने पर स्थानीय निकाय शिक्षक नियम-2020 को संशोधित किया जाना चाहिए ताकि ऐसे असफल नियोजित शिक्षकों को समाप्त किया जा सके। विद्वान महाधिवक्ता ने माना कि ऐसी अनुशंसा की गई थी, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार अंतिम प्राधिकारी है, जिसने विद्वान महाधिवक्ता की सलाह के आधार पर ऐसी अनुशंसा पर पहले ही निर्णय ले लिया है कि अनन्य शिक्षक नियम-2023 के तहत गठित समिति नियोजित शिक्षकों को केवल योग्यता परीक्षा में उत्तीर्ण न होने के आधार पर सेवा समाप्ति के ऐसे परिणाम के साथ नहीं देख सकती है। हमारा यह भी मत है कि यदि नियोजित शिक्षकों पर ऐसा परिणाम आता है तो यह नियोजित शिक्षकों के लिए नियम 3 (3) के तहत योग्यता परीक्षा से दूर रहने के विकल्प के विपरीत होगा। हम विद्वान महाधिवक्ता से सहमत हैं कि केवल की गई अनुशंसा सरकार को बाध्य नहीं करती है और किसी भी स्थिति में, हम यह मानते और घोषित करते हैं कि नियोजित शिक्षकों की सेवा समाप्ति के लिए नियम 4 के तहत समिति द्वारा कोई अनुशंसा नहीं की जा सकती है।

42. नियोजित शिक्षकों के कैडर के संबंध में नियम 4 के प्रावधान के अनुसार अधिभोग क्षेत्र का सिद्धांत पूरी तरह लागू होता है, क्योंकि नियोजित शिक्षक स्थानीय निकाय शिक्षक नियम-2020 के अंतर्गत आते हैं। वैधानिक नियम नियोजित शिक्षकों के कैडर वाले

क्षेत्र पर लागू होता है और अनुच्छेद 309 के अंतर्गत लाया गया विशिष्ट नियम एक साथ नहीं चल सकता। अनुच्छेद 309 के प्रावधान के अंतर्गत बनाए गए नियमों में नियोजित शिक्षकों की सेवा को विनियमित करने के लिए कोई समिति गठित नहीं की जा सकती, जिसका उद्देश्य नियोजित शिक्षक कैडर से बनाए गए किसी अन्य कैडर की सेवा शर्तों को परीक्षण योग्यता के आधार पर विनियमित करना है। इसलिए, नियम 4 के प्रावधान को वैधानिक नियम पर प्रभाव डालने के कारण खारिज किया जाना चाहिए, जो नियोजित शिक्षकों के कैडर की विशेषता वाले क्षेत्र पर लागू होता है।

43. अब हम विशिष्ट शिक्षक नियम-2023 के नियम 12 के तहत दिए गए निरसन और बचत पर आते हैं। विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजेंद्र नारायण ने विशेष रूप से तर्क दिया था कि निरसन और बचत, जैसा कि सामने लाया गया है, विशिष्ट शिक्षक नियम-2023 को चुनौती देने का एक और आधार भी होगा; इसे 'कब्जे वाले क्षेत्र' में लाया गया है। विशिष्ट शिक्षक नियमावली-2023 से पहले स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली-2020 के साथ-साथ राज्य ने बिहार राज्य शैक्षणिक संस्थागत शिक्षक एवं कर्मचारी (शिकायत निवारण एवं अपील) नियमावली, 2020 भी लागू की थी। नियमावली 2023 के नियम 12 द्वारा उक्त शिकायत निवारण नियमावली को उक्त नियम के अंतर्गत गठित जिला/राज्य अपीलीय प्राधिकार को लंबित मामलों का छह माह के भीतर निपटारा करने तथा विशिष्ट शिक्षक नियमावली-2023 के लागू होने के बाद कोई नया मामला स्वीकार नहीं करने का निर्देश देकर अक्रियाशील बना दिया गया है। हालांकि, कोई विशिष्ट निरसन नहीं किया गया है, लेकिन जिला एवं राज्य अपीलीय प्राधिकार को कोई नया मामला स्वीकार नहीं करने का निर्देश देकर शिकायत निवारण नियमावली को अक्रियाशील बना दिया गया है। जो स्थानीय निकाय शिक्षक नियम-2020 और नियोजित शिक्षकों के संवर्ग पर लागू शिकायत निवारण नियमों के 'अधिकृत क्षेत्र' पर एक निश्चित अतिक्रमण होगा, जो विशिष्ट शिक्षक नियम-2023 से बच

जाता है। 2020 के नियम उन व्यक्तियों की सेवा को विनियमित करने के उद्देश्य से लागू रहेंगे जो नियोजित शिक्षक के रूप में बने रहते हैं; उनके विकल्प पर या योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल होने पर। यह नियम अनन्य शिक्षक नियम, 2023 में मौजूद होने के कारण जीवित नहीं रह सकता। हमारा यह मत है कि हमारे इस निष्कर्ष के बावजूद कि नियम 12 एक 'अधिकृत क्षेत्र' में है, हमें विशिष्ट शिक्षक नियम-2023 को समग्र रूप से अलग करने की आवश्यकता नहीं है और हमें केवल निरसन और बचत से संबंधित नियम 12 को अलग करने की आवश्यकता है ताकि विशिष्ट शिक्षक नियम, 2023 के अन्य भाग बरकरार रहें।

44. शिकायत निवारण नियम 2020 के अंतर्गत राज्य/जिला अपीलीय प्राधिकरण कार्य करना जारी रखेंगे तथा नियोजित शिक्षकों के संबंध में नए मामले भी स्वीकार करेंगे। हालांकि, जो व्यक्ति विशिष्ट शिक्षकों के संवर्ग में आते हैं, उनके लिए जहां तक अनुशासनात्मक कार्रवाई का संबंध है, विशिष्ट शिक्षक नियम-2023 के नियम 11 में विस्तृत दिशा-निर्देशों तथा प्रक्रिया की अलग से अधिसूचना का प्रावधान है। हमें विश्वास है कि कार्यकारी सरकार द्वारा शिकायत निवारण को भी सफलतापूर्वक तथा प्रभावी ढंग से संबोधित किया जाएगा। हमें बताया गया है कि पहले गठित अपीलीय प्राधिकरणों में जिला न्यायपालिका के सेवानिवृत्त न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शामिल थे तथा वर्तमान नियम में क्षेत्रीय उप निदेशक को अपीलीय प्राधिकरण के रूप में वर्णित किया गया है। हम शिकायत निवारण के लिए निर्धारित प्राधिकरणों के गठन में केवल इस आधार पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते कि वे न्यायिक कार्यालयों में कार्यरत नहीं हैं। यहां तक कि एक प्रशासनिक अधिकारी भी एक उचित विकल्प होगा और किसी भी स्थिति में उसका निर्णय कानून की अदालतों के समक्ष लिया जा सकता है, यदि अधिकार क्षेत्र को समाप्त नहीं किया

जाता है और निश्चित रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष।

45. 'कब्जे वाले क्षेत्र' के सिद्धांत के आवेदन के दावे पर विचार करने और उसे खारिज करने के बाद, विवादित अधिनियम को पूरी तरह से खारिज करने के लिए, हमें अब याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए अन्य विवादों से निपटना होगा। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री वाई.वी. गिरि द्वारा जोरदार ढंग से जोर दिए गए आधारों में से एक यह है कि नियोजित शिक्षकों को अपने करियर के अंतिम चरण में एक और भीषण परीक्षा से गुजरना पड़ता है, जो बेकार है क्योंकि उन्हें पहले ही दक्षता परीक्षण से गुजरना पड़ता है। दक्षता परीक्षण में सफल होने के बाद उन्हें योग्यता परीक्षण के माध्यम से और अधिक पक्षपातपूर्ण बनाने का कोई कारण नहीं है।

46. हम इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, खासकर वर्तमान परिवृश्य में, जब जीवन के सभी क्षेत्रों में सतत शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है; आम तौर पर, हर व्यावसायिक गतिविधि में और विशेष रूप से, शिक्षण के मानकों को उन्नत करने में, जो यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षण पेशेवर हाल के विकास के साथ तालमेल बिठा रहे हैं, जो इस तथ्य पर विचार करते हुए बहुत प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है कि यह शिक्षक ही हैं जो किसी भी राष्ट्र की भावी पीढ़ियों को आकार देते हैं। प्रारंभिक शिक्षा और इसके महत्व पर अधिक जोर नहीं दिया जा सकता है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देवेश शर्मा बनाम भारत संघ; 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 985 में देखा है। इस संदर्भ में, हम यह ध्यान दिए बिना नहीं रह सकते कि नियोजित शिक्षकों पर योग्यता परीक्षा में बैठने की कोई बाध्यता नहीं है, जैसा कि पहले दक्षता परीक्षा में मामला था। नियोजित शिक्षक योग्यता परीक्षा में शामिल न होने का विकल्प भी चुन सकते हैं, ऐसी स्थिति में वे विशिष्ट शिक्षकों के कैडर में जाने का विशेषाधिकार खो देते हैं, लेकिन फिर भी स्थानीय निकाय शिक्षक

नियमावली, 2020 के तहत नियोजित शिक्षक के रूप में बने रहने में सक्षम होते हैं। बिना किसी डर के योग्यता परीक्षा से दूर रहने का विकल्प चुनने का अवसर प्रदान किया जाना हमारी प्रशंसा करता है, और शिक्षा जारी रखने पर जोर देने से इस तर्क को खारिज करने का हमारा संकल्प मजबूत होता है। हम यह देख सकते हैं कि यह नियम नियोजित शिक्षकों में से कम से कम कुछ को उनकी परीक्षा योग्यता के माध्यम से उनकी सिद्ध योग्यता के आधार पर वेतन और अन्य लाभों की समानता के साथ समानता की उनकी खोज में आगे बढ़ने में मदद करता है।

47. श्री नायडू, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा हमारे समक्ष उठाया गया एक अन्य तर्क, विशिष्ट शिक्षक नियम-2023 के अनुसार वेतन निर्धारण के मामले में भी कैरियर की प्रगति की कुल कमी और उनकी पिछली सेवा के पूर्ण रूप से मिट जाने के संबंध में है। वेतन संरक्षण केवल अनुलग्नक-ए में देखे गए प्रवेश स्तर पर उनके निर्धारण को सक्षम बनाता है और संरक्षित राशि तक पहुंचने तक उनके वेतन को स्थिर रखता है, यह तर्क है। उदाहरण के तौर पर, यह बताया गया है कि एक नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के योग्य है, उसे 30,000/- रुपये का वेतन संरक्षण दिया गया है, उसे अभी भी वेतन संरक्षण के साथ 25,000/- रुपये के प्रवेश वेतन पर तय करना होगा और जब तक मूल वेतन समय बीतने के साथ 25,000/- रुपये नहीं हो जाता, तब तक आगे वेतन वृद्धि नहीं दी जाएगी। 30,000/-, जो कि कई शिक्षकों के मामले में असंभव होगा जो अपने करियर के अंतिम चरण में हैं।

48. हालांकि, विद्वान महाधिवक्ता बताते हैं कि 30,000/- रुपये के वेतन संरक्षण के हकदार शिक्षक को लेवल-8 पर तय किया जाएगा और अनुलग्नक-ए, फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल (एफएमटी) में दिए गए अनुसार आगे की वेतन वृद्धि प्रदान की जाएगी। जहां तक करियर की प्रगति का सवाल है, वरिष्ठता विशिष्ट शिक्षक नियम, 2023 के नियम 7 के

अनुसार तय की गई है, जिसमें प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षकों की प्रत्येक श्रेणी के लिए विषयवार वरिष्ठता सूची तैयार की गई है। पदोन्नति भी नियम 9 द्वारा निर्दिष्ट की गई है। हालांकि, हम स्थानीय निकाय शिक्षक नियम-2020 में नियोजित शिक्षकों की पदोन्नति के लिए एक विशिष्ट अनुपात प्रदान करने में एक कमी देखते हैं। नव निर्मित संवर्गों के लिए कोई अनुपात नहीं है; यह कमी हमें पूरे नियम को रद्द करने के लिए प्रेरित नहीं करेगी, बल्कि हमें राज्य सरकार को एक योजना बनाने का निर्देश देने के लिए प्रेरित करेगी, ताकि प्रत्येक संवर्ग को पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का अधिकार हो, जो भी मानदंड राज्य द्वारा उचित माना जाता है, जिसमें 2023 के नियम के लागू होने के बाद मौजूद संवर्गों में उपलब्ध शिक्षकों का अनुपात भी शामिल है।

49. याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए प्रत्येक तर्क पर विचार करने के बाद, हमारी राय है कि विशिष्ट शिक्षक नियम-2023 को बरकरार रखा जाना चाहिए और हम ऐसा करते हैं; लेकिन नियम 4 और नियम 12 के प्रावधान को अलग रखते हैं और विभिन्न संवर्गों में से प्रत्येक के लिए पदोन्नति के अवसर सुनिश्चित करने के लिए उचित अनुपात निर्धारित करने के संबंध में निर्देश भी जारी करते हैं। हम राज्य सरकार को प्रत्येक संवर्ग की शिकायत निवारण के उद्देश्य से नियम बनाने का भी निर्देश देते हैं, अधिमानतः शिकायत निवारण नियम-2020 में मौजूद नियमों के अनुसार, जैसा कि स्थानीय निकाय शिक्षक नियम-2020 के अंतर्गत आने वाले शिक्षकों पर लागू होता है; जिसे राज्य के भीतर मौजूद स्कूल शिक्षकों के प्रत्येक संवर्ग द्वारा उठाई गई शिकायतों पर विचार करने और निर्णय लेने के लिए एक प्राधिकरण के रूप में घोषित और गठित भी किया जा सकता है।

50. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने संघर्ष समिति (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दिए गए स्पष्ट आशासनों, बल्कि वादों के संबंध में राज्य द्वारा किए गए पलटवार पर भी जोरदार ढंग से तर्क दिया था।

नियोजित शिक्षकों द्वारा उस समय उठाए गए 'समान काम के लिए समान वेतन' के दावे को नकारने के लिए राज्य के तर्कों का संदर्भ दिया गया था। राज्य ने तर्क दिया था कि 2006 के बाद पहली श्रेणी में कोई नई नियमित नियुक्तियां नहीं होंगी; यानी सरकारी स्कूल शिक्षक और भविष्य में सभी नियमित नियुक्तियां केवल 2006 के नियमों के अनुसार की जाएंगी। राज्य द्वारा यह दावा किया गया था कि सरकारी शिक्षकों का मूल कैडर बिना किसी नई नियुक्ति के एक कैडर होगा, इस प्रकार यह एक मरता हुआ या लुप्त होता हुआ कैडर बन जाएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक अधिदेश के अनुसार पंचायत राज संस्थाओं को दी गई प्रमुखता पर भी गौर किया, जिसमें एक ओर विकेंट्रीकरण को सक्षम बनाना है, वहीं दूसरी ओर शिक्षकों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि करना है, ताकि आरटीई अधिनियम द्वारा निर्धारित छात्र शिक्षक अनुपात के राष्ट्रीय मापदंडों को प्राप्त किया जा सके। राज्य द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से यह भी पता चला कि पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति में प्रगति हुई है और छात्रों के नामांकन में पर्याप्त सुधार हुआ है और पिछले दशक में साक्षरता दर में सराहनीय वृद्धि हुई है। शिक्षा के प्रसार को अधिकतम स्तर तक पहुंचाने का विचार प्राप्त हुआ और राज्य ने आरटीई अधिनियम के तहत दायित्वों को पूरा करने का भी काफी हद तक प्रयास किया। समानता या समानता एक मरते या लुप्त होते कैडर के लिए मांगी गई थी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष रूप से सरकारी शिक्षकों की घटती संख्या का उल्लेख किया, जबकि पंचायत शिक्षकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो नियोजित शिक्षक हैं।

51. हमारे अनुसार संघर्ष समिति (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उठाए गए तर्क राज्य को अपनी नीतियों को बदलने से नहीं रोकते हैं, जो कि एक परीक्षण-और-त्रुटि उपाय भी है। जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देखा है कि शिक्षकों की संख्या और छात्रों के नामांकन में पर्याप्त प्रगति हुई है। हालांकि, जैसा कि विद्वान महाधिवक्ता ने तर्क दिया है, राज्य को आरटीई अधिनियम के तहत दायित्वों के लिए केवल

दिखावटी सेवा नहीं करनी है और शिक्षा के मानकों को प्राप्त करने की तत्काल आवश्यकता है जिसका शिक्षकों की गुणवत्ता के साथ एक आसन्न और निश्चित संबंध है। जब तक शिक्षण मानकों को उन्नत नहीं किया जाता है तब तक शिक्षा की गुणवत्ता नहीं बढ़ेगी और आरटीई अधिनियम द्वारा इच्छित लक्ष्यों की भावना और स्वरूप को साकार नहीं किया जा सकेगा। केवल संख्यात्मक शक्ति में वृद्धि से उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी या लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा; जिसके परिणामस्वरूप नीति में वर्तमान परिवर्तन हुआ है और राज्य को इस बात का कोई वादा नहीं दिया जा सकता कि सरकारी शिक्षकों के वर्ग का पुनरुद्धार नहीं होगा। वास्तव में, 2023 के नियमों, विशिष्ट शिक्षक नियम और राज्य स्कूल सेवा नियम, दोनों के लागू होने से पूरी तरह से पलटवार हुआ है। राज्य अब प्रशिक्षण योग्यता और परीक्षित कौशल दोनों के साथ शिक्षकों का एक वर्ग बनाने का इरादा रखता है, जैसा कि योग्यता परीक्षा/लिखित परीक्षा में पता चलेगा, जो क्रमशः नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षकों में परिवर्तित करने और राज्य स्कूल शिक्षकों की नई भर्ती के लिए किया जाएगा।

52. हमें यह दोहराना है कि विशिष्ट शिक्षक नियम-2023 के नियम 3 का पहला प्रावधान यह प्रावधान करता है कि नियम 4 के तहत योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर, विशिष्ट शिक्षक राज्य स्कूल शिक्षक नियम-2023 के तहत नियुक्त स्कूल शिक्षकों के लिए वेतन और अन्य भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे। अतः नियोजित शिक्षकों द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक चले मुकदमे के पिछले दौर में जो मांग की गई थी, वह इस समय पूरी हो रही है, कम से कम उन लोगों के मामले में जो निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने पर सक्षम पाए गए हैं। यहां, हमें संघर्ष समिति (सुप्रा) में दिए गए निर्णय के अनुच्छेद संख्या 107 के अंतिम भाग पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा, जिसका उद्धरण नीचे दिया गया है:

"राज्य नियोजित शिक्षकों के वेतनमान को कम से कम समिति द्वारा सुझाए गए स्तर तक बढ़ाने पर विचार कर सकता है, समिति द्वारा सुझाए गए किसी भी परीक्षण या परीक्षा पर जोर दिए बिना। जो लोग ऐसे परीक्षण या परीक्षा में सफल होते हैं, उन्हें और भी बेहतर वेतनमान दिया जा सकता है। यह केवल एक सुझाव है जिस पर राज्य द्वारा विचार किया जा सकता है।"

(जोर देने के लिए हमारे द्वारा रेखांकित)

53. यह एक स्वीकृत तथ्य है कि नियोजित शिक्षकों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिकल्पित वेतनमान और सभ्य पारिश्रमिक प्रदान किया गया है। उपरोक्त अंश के रेखांकित भाग में यह सुझाव देते हुए कि नियोजित शिक्षकों के वेतनमान को बिना किसी अतिरिक्त परीक्षा योग्यता के सभ्य पारिश्रमिक सक्षम करने के लिए बढ़ाया जाना चाहिए; यह भी सुझाव दिया गया था कि एक परीक्षण या परीक्षा में उत्तीर्ण होने से ऐसे नियोजित शिक्षकों के लिए और भी बेहतर वेतनमान सक्षम हो सकते हैं। यह वही है जो राज्य अनन्य शिक्षक नियम-2023 के माध्यम से करने का प्रयास करता है और चाहता है।

54. मौजूदा सरकारी शिक्षकों के खिलाफ नियोजित शिक्षकों द्वारा उठाए गए 'समान काम के लिए समान वेतन' के दावे को वर्तमान नियमों के साथ साकार किया जाएगा; ऐसे शिक्षकों पर केवल योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने की बाध्यता है, जिसका घोषित उद्देश्य शिक्षकों को स्वयं शिक्षा जारी रखने के लिए प्रेरित करना तथा राज्य विद्यालय शिक्षक नियम-2023 के अंतर्गत नवनियुक्त शिक्षकों के समकक्ष मानक प्राप्त करना है।

55. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रणधीर सिंह बनाम भारत संघ; (1982) 1 एससीसी 618 में माना कि यद्यपि 'समान कार्य के लिए समान वेतन' के सिद्धांत को

संविधान द्वारा मौलिक अधिकार घोषित नहीं किया गया है; यह अभी भी एक संवैधानिक लक्ष्य है, लेकिन इसे एक अमूर्त सिद्धांत के रूप में लागू नहीं किया जा सकता है, जब शैक्षणिक योग्यता या सेवा की अवधि के आधार पर अनुभव कर्मचारियों को दो ग्रेडों में वर्गीकृत करने के लिए उचित रूप से बनाए रखता है। हरियाणा राज्य बनाम जसमेर सिंह; (1996) 11 एससीसी 77 में माना गया कि ‘समान कार्य के लिए समान वेतन’ के सिद्धांत का हर मामले में यांत्रिक अनुप्रयोग नहीं है। ‘अनुच्छेद 14 में भर्ती किए गए और एक साथ समूहीकृत किए गए व्यक्तियों के गुणों या विशेषताओं के आधार पर उचित वर्गीकरण की अनुमति दी गई है, न कि उन लोगों के लिए जिन्हें छोड़ दिया गया है। बेशक, गुणों या विशेषताओं का उस उद्देश्य से उचित संबंध होना चाहिए जिसे हासिल किया जाना है। सेवा मामलों में, प्रशासन में दक्षता को बढ़ावा देने के लिए वेतन के प्रयोजनों के लिए योग्यता या अनुभव वर्गीकरण के लिए एक उचित आधार हो सकता है’ (sic- पैरा 19)।

56. यह वही है जिसे वर्तमान मामले में हासिल करने की कोशिश की गई है और विशिष्ट शिक्षक, हालांकि एक मरणासन्न कैडर होगा, वे राज्य स्कूल शिक्षकों के साथ समानता रखेंगे। हम हरियाणा राज्य बनाम चरणजीत सिंह को भी उद्धृत किए बिना नहीं रह सकते; (2006) 9 एससीसी 321, जिसमें यह माना गया कि ‘इसमें अब कोई संदेह या विवाद नहीं है कि ‘समान काम के लिए समान वेतन’ के सिद्धांत का लाभ प्रदान करना समान काम, समान मूल्य, नियुक्ति का स्रोत और तरीका, समूह की समान पहचान और थोक या पूर्ण पहचान सहित कई कारकों पर निर्भर करता है।’ (इस प्रकार)

57. हमारे अनुसार नीति में बदलाव माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सेवा न्यायशास्त्र में प्रतिपादित सिद्धांतों और ‘समान काम के लिए समान वेतन’ के सिद्धांत के अनुप्रयोग के सिद्धांत के अनुरूप है। राज्य ने तर्क दिया है कि शिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नीति में परिवर्तन तत्काल आवश्यक था और इसके माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता में काफी

सुधार हुआ है; जो कि संख्यात्मक शक्ति से एक निश्चित सुधार और प्रगति है जिसे पहले प्राप्त करने की मांग की गई थी। नई नीति सरकारी शिक्षकों के कैडर को पुनर्जीवित करती है जो राज्य द्वारा वर्षों से प्राप्त अनुभव और एक विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। अब तक केवल वेतन समानता वाले शिक्षक ही होंगे जिन्हें राज्य विद्यालय शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक (सरकारी शिक्षक) कहा जाता है जो नियोजित शिक्षकों के साथ सह-अस्तित्व में हैं। राज्य विद्यालय शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक के बीच समानता है। नियोजित शिक्षक के रूप में बने रहने वाले केवल वे व्यक्ति होंगे जिन्होंने परीक्षा में भाग लेने से इनकार कर दिया या परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाए। वे समानता का आधार नहीं उठा सकते या 'समान कार्य' के लिए समान वेतन' का दावा नहीं कर सकते। नियोजित शिक्षक निश्चित रूप से विशिष्ट शिक्षकों के साथ-साथ एक मरणासन्न कैडर होंगे जिन्हें समय के साथ सरकारी शिक्षकों के कैडर द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, एक एकीकृत कैडर लाया जाएगा, जिसमें आवश्यक शैक्षणिक योग्यता होगी और साथ ही प्रशिक्षण योग्यता होगी और उनके कौशल का लिखित परीक्षा में परीक्षण किया जाएगा। नीतिगत मामलों में, जैसा कि आम बात है, न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप केवल तभी किया जा सकता है जब स्पष्ट रूप से अवैधता, स्पष्ट अनुचितता और निर्लज्ज मनमानी हो; इनमें से कोई भी बात भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए विवादित नियमों के तहत विशिष्ट शिक्षकों के नए कैडर के निर्माण में नहीं आती है।

58. हमने सभी संवर्गों में कैरियर की प्रगति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पहले ही निर्देश जारी कर दिए हैं। उठाए गए तर्कों में से एक यह भी था कि जब विशिष्ट शिक्षक और नियोजित शिक्षक सेवानिवृत्त होंगे, तो स्वचालित रूप से पद राज्य विद्यालय सेवा को दे दिया जाएगा। जब हमारे निर्देशों का अनुपालन किया जाता है और एक अनुपात नियोजित किया जाता है, तो अनिवार्य रूप से ऐसे पदोन्नति के रास्ते तब तक बनाए रखने होंगे जब तक कि

विशिष्ट शिक्षक और नियोजित शिक्षकों का संवर्ग पूरी तरह से गायब न हो जाए। जहाँ तक प्रधानाध्यापकों के पद पर पदोन्नति का प्रश्न है, बिहार राज्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2021 पहले ही लागू हो चुकी है तथा प्रारंभिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियमावली, 2024 द्वारा विनियमित किया जाएगा।

59. उपरोक्त तर्क के आधार पर, हम निम्नलिखित निर्देशों के साथ रिट्याचिकाओं का निपटारा करते हैं: -

- (i) प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियमावली-2023 के नियम 4 के प्रावधान को निरस्त किया जाता है।
- (ii) प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियमावली-2023 के नियम 12 को भी निरस्त किया जाता है।
- (iii) राज्य स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली-2020 द्वारा नियोजित शिक्षकों के लिए प्रदान की गई शिकायत निवारण प्रणाली प्रदान करेगा।
- (iv) राज्य भविष्य में प्रगति के लिए भी प्रावधान करेगा और विभिन्न संवर्गों में एक अनुपात निर्धारित करेगा ताकि प्रत्येक संवर्ग में प्रत्येक व्यक्ति राज्य द्वारा निर्धारित उचित शर्तों के अधीन पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का हकदार होगा।

60. हम यह स्पष्ट करते हैं कि नियोजित शिक्षकों को जारी रखने और अनन्य शिक्षकों के रूप में नियमित नियुक्तियां करने में राज्य द्वारा किए गए कार्यों को आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 23 के प्रावधानों का पालन करना होगा।

61. रिट याचिकाओं को विवादित नियमों को बरकरार रखते हुए निपटाया जाता है, जिसमें निर्दिष्ट प्रावधानों को खारिज कर दिया जाता है।

62. अंतरिम आवेदन, यदि कोई हो, निपटाए जाएंगे।

(के. विनोद चंद्रन, मुख्य न्यायाधीश)

मैं सहमत हूँ।

हरीश कुमार, न्यायामूर्ति

(हरीश कुमार, न्यायामूर्ति)

सुजीत/रनजंन

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।